(ईश्वर वाणी)

دُنیا میں ایک نذیر آیا پر دُنیا نے اُسکو قبول نہ کیا، لیکن خدا اُسے قبول کریگا اور بڑے زور آور حملوں سے اُسکی سچائی ظاہر کردیگا

दुनिया में एक नज़ीर (डराने वाला) आया पर दुनिया ने उसको कुबूल न किया लेकिन ख़ुदा उसे क़ुबूल करेगा और बड़े ज़ोर आवर (शक्तिशाली) हमलों से उसकी सच्चाई प्रकट कर देगा ।

यह पुस्तिका जिसका नाम है

अल्-वसिय्यत

पवित्र प्रवचन

हज़रत हुज्जतुल्लाह मसीहे मौऊद व महदी-ए-मअ्हूद
मीरज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलातु वस्सल्लम
क़ादियानी

चौधरी अल्लाहदाद मैगज़ीन प्रैस में हज़रत अक़दस के आदेश पर
24, दिसम्बर 1905 ई. को प्रकाशित हुई ।

अल्-वसिय्यत

(उर्दू पुस्तिका "अल्-वसिय्यत" का हिन्दी अनुवाद)

प्रथम संस्करण: जून 2005

संख्या : 3000

प्रकाशक:

नज़ारत नश्रो इशाअत,

मुहल्ला अहमदिय्या,

क़ादियान- 143516

ज़िला गुरदासपुर (पंजाब) भारत।

मुद्रक :

फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रैस

क़दियान - 143516

ज़िला गुरदासपुर (पंजाब)

ISBN 81 7912 072 4

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ   نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ. وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ—اَمَّا بَعْد

कि सर्व सम्मान नीय तथा सर्व प्रतिष्ठावान ख़ुदा ने निरन्तर वही (ईश्वरवाणी) द्वारा मुझे सूचित किया है कि मेरी मृत्यु का ज़माना निकट है तथा इस संबन्ध में उसकी वही इतनी निरंतरता से हुई कि मेरे अस्तित्व को नींव से हिला दिया । तथा इस जीवन को मुझ पर सर्द कर दिया । इसलिए मैंने उचित समझा कि अपने दोस्तों तथा उन सब लोगों के लिए जो मेरी बातों से लाभ उठाना चाहें कुछ उपदेश लिखूँ । अत: पहले मैं उस पवित्र वही से सूचित करता हूँ जिसने मुझे मेरी मृत्यु की सूचना देकर मेरे लिए यह प्रेरणा पैदा की और वह यह है जो अरबी भाषा में हुई तथा बाद में उर्दू की वही भी लिखी जायेगी ।

قَرُبَ اَجَلُکَ الْمُقَدَّرُ. وَلَا نُبْقِیْ لَکَ مِنَ الْمُخْزِیَاتِ ذِکْرًا. قَلَّ مِیْعَادُ رَبِّکَ. وَلَا نُبْقِیْ لَکَ مِنَ الْمُخْزِیَاتِ شَیْئًا. وَاِمَّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِیْ نَعِدُھُمْ اَوْنَتَوَ فَّیَنَّکَ تَمُوْتُ وَاَنَارَاضٍ مِّنْکَ. جَآءَ وَقْتُکَ وَنُبْقِیْ لَکَ الْاٰیَاتِ بَاھِرَاتٍ. جَآءَ وَقْتُکَ وَنُبْقِیْ لَکَ الْاٰیَاتِ بَیِّنَاتٍ. قَرُبَ مَاتُوْعَدُوْنَ. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ. اِنَّهٗ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ وَیَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَایُضِیْعُ اَجْرَالْمُحْسِنِیْنَ.

(अनुवाद) तेरी मृत्यु क़रीब आ गई है और हम तेरे संबन्ध में ऐसी बातों का नामो-निशान नहीं छोड़ेंगे जिनका वर्णन तेरे अपमान का कारण हो । तेरे संबंध में ख़ुदा का निर्धारित समय थोड़ा रह गया है और हम ऐसे सभी आरोप दूर और हटा देंगे तथा कुछ भी उनमें से बाक़ी नहीं रखेंगे जिनके वर्णन से तेरी

बदनामी होती हो । तथा हम इस बात पर सामर्थी हैं कि जो कुछ विरोधियों के संबंध में हमारी भविष्यवाणियाँ हैं उनमें से तुझे कुछ दिखा दें या तुझे मौत दे दें तो उस अवस्था में मृत्यु प्राप्त करेगा जो मैं तुझसे राज़ी हूँगा। तथा हम खुले खुले निशान तेरी सच्चाई के लिए सदा मौजूद रखेंगे जो वचन दिया गया वह निकट है । अपने रब्ब की निअ्मत का जो तेरे पर हुई लोगों के पास वर्णन कर । जो व्यक्ति संयम धारण करे और धैर्य करे तो ख़ुदा ऐसे पुण्यकर्ताओं का पुण्य व्यर्थ नहीं करता ।

इस जगह याद रहे कि ख़ुदा तआला का यह फ़र्माना कि हम तेरे सम्बंध में ऐस वर्णन बाक़ी नहीं छोड़ेंगे जो तेरे अपमान तथा बेइज़्ज़ती का कारण हों। इस वाक्य के दो अर्थ हैं : 1. प्रथम यह कि ऐसे आरोप जो अपमानित करने के निश्चय से प्रकाशित किये जाते हैं हम दूर कर देंगे और उन आरोपों का नामो निशान न रहेगा । 2. दूसरे यह कि ऐसे शिकायत करने वालों को जो अपनी शरारतों को नही छोड़ते तथा कटुभाषा से नहीं रुकते, संसार से उठा लेंगे तथा जीवन समाप्त कर देंगे तब उनके मिटने के कारण उनके अशिष्ट आरोप भी मिट हो जायेंगे । फिर इसके पश्चात् अल्लाह तआला ने मेरी मृत्यु के संबंध में उर्दू भाषा में निम्नलिखित वाणी के साथ मुझे सम्बोधित करके फ़र्माया बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, उस दिन सब पर उदासी छा जायेगी। यह होगा यह होगा यह होगा इसके पश्चात् तुम्हारी घटना होगी । सभी घटनाओं तथा प्राकृतिक चमत्कारों के दिखाने के पश्चात् तुम्हारी घटना घटेगी।

घटनाओं के सबध में जो मुझे ज्ञान दिया गया है वह यही है कि हर एक ओर संसार में मृत्यु अपना दामन फैलाएगी और भूँचाल आएँगे तथा सख़्ती से आएँगे तथा महाप्रलय का रूप होंगे तथा धरती को ऊपर नीचे कर देंगे तथा बहुतों का जीवन कड़वा हो जायेगा फिर वो जो प्रायश्चित करेंगे तथा पापों से हाथ रोक लेंगे ख़ुदा उन पर दया करेगा जैसा कि हर एक नबी ने इस युग की सूचना दी थी, ज़रूर है कि वह सब कुछ घटित हो । परन्तु वे जो अपने दिलों को ठीक कर लेंगे तथा उन मार्गों को अपनायेंगे जो ख़ुदा को पसन्द हैं उनको कुछ भय नहीं तथा न कोई शोक । ख़ुदा ने मुझे संबोधित करके फ़र्माया तू मेरी ओर से नज़ीर (डराने वाला) है मैंने तुझे भेजा ताकि अपराधी पुण्यकर्मियों

से अलग किये जाएँ तथा फ़र्माया कि दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसको स्वीकार न किया लेकिन ख़ुदा उसे स्वीकार करेगा तथा बड़े शक्तिशाली आक्रमणों से उसकी सच्चाई प्रकट कर देगा।* मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूँढेगे।

तथा आगामी भूँचाल के बारे में जो एक सख़्त भूँचाल होगा मुझे सूचना दी और फ़र्माया कि फिर बहार आई ख़ुदा की बात फिर पूरी हुई। इसलिए एक भयानक भूँचाल का आना अनिवार्य है परन्तु नेक चलन इससे सुरक्षित हैं। सो नेक चलन बनो! और संयम धारण करो। ताकि बच जाओ। आज ख़ुदा से डरो ताकि उस दिन के भय से अमन में रहो। ज़रूर है कि आसमान कुछ दिखावे तथा धरती कुछ प्रकट करे। परन्तु ख़ुदा से डरने वाले बचाये जायेंगे।

ख़ुदा की वाणी मुझे बताती है कि कई घटनाएँ प्रकट होंगी तथा कई आपदाएं धरती पर उतरेंगी कुछ तो उनमें से मेरे जीवन में प्रकट हो जायेंगी और कुछ मेरे बाद प्रकट होंगी और वह इस सिलसिला को पूरी उन्नति देगा कुछ मेरे हाथ से तथा कुछ मेरे पश्चात्।

यह ख़ुदा तआला की सुन्नत है तथा जब से कि उसने मानव को धरती पर पैदा किया सदैव इस सुन्नत को वह ज़ाहिर करता रहा है कि वह अपने नबियों तथा रसूलों की सहायता करता है तथा उनको विजय देता है जैसा कि वह फ़र्माता है كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ.** और विजय से अभिप्राय यह है कि जैसा कि रसूलों और नबियों की यह इच्छा होती है कि ख़ुदा का तर्क धरती पर पूर्ण हो जाये तथा उसका मुक़ाबला कोई न कर सके इसी प्रकार ख़ुदा तआला दृढ़ निशानों के साथ उनकी सच्चाई प्रकट कर देता है। तथा

---

* *अगर दुनिया की आँख खुलती तो वे देखते कि मैं शताब्दी के शुरू में प्रकट हुआ तथा चौथे भाग के लगभग अब तक चौदहवीं शताब्दी भी गुज़र गई तथा हदीस के अनुसार ठीक मेरे दावा के समय रमज़ान के महीने में चाँद ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण भी हुआ तथा प्लेग भी देश में प्रकट हुई तथा भूँचाल भी आए और आएँगे परन्तु अफ़सोस उन पर जिन्होंने संसार से प्रेम किया उन्होंने मुझे स्वीकार न किया।*

** *(अनुवाद) ख़ुदा ने लिख रखा है कि वह और उसके नबी विजयी रहेंगे।*

(अल् मुजादिल: आयत 22)

जिस नेक चलनी को वे दुनिया में फैलाना चाहते हैं उसका बीजारोपण उन्हीं के हाथ से कर देता है । लेकिन उसकी सम्पूर्णता उनके हाथ से नहीं करता बल्कि ऐसे समय में उनको मौत देकर जो सामान्यतः एक नाकामी का भय अपने साथ रखती है, विरोधियों को हँसी और ठठ्ठे और व्यंग और अपशब्द कहने का अवसर दे देता है । और जब वह हँसी ठठ्ठा कर चुकते हैं तो फिर एक दूसरा हाथ अपनी शक्ति का दिखाता है । तथा ऐसे साधन पैदा कर देता है जिनके द्वारा वे उद्देश्य जो कुछ हद तक अधूरे रह गए थे अपनी सम्पूर्णता को पहुँचते हैं । अर्थात दो प्रकार की कुदरत प्रकट करता है :

(1) प्रथम स्वयं नबियों के हाथ से अपनी कुदरत का हाथ दिखाता है।

(2) दूसरे ऐसे समय में जब नबी के देहांत के पश्चात कठिनाइयों का सामना पैदा हो जाता और दुश्मन ज़ोर में आ जाते हैं और समझते हैं कि अब काम बिगड़ गया और विश्वास कर लेते हैं कि अब यह जमाअत मिट जायेगी और स्वयं जमाअत के लोग भी चिंता में पड़ जाते हैं और उनकी कमरें टूट जाती हैं तथा कई अभागी विमुख होने का मार्ग धारण कर लेते हैं । तब ख़ुदा तआला दूसरी बार अपनी शक्तिशाली कुदरत प्रकट करता है और गिरती हुई जमाअत को संभाल लेता है । अतः वह जो अंत तक धैर्य रखता है ख़ुदा तआला के इस चमत्कार को देखता है जैसा कि हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ के समय में हुआ जब कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की मौत एक बे वक़्त मौत समझी गई तथा बहुत से ना समझ बादियानशीन (वनवासी) विमुख हो गए और सहाबा भी दुःख के कारण दीवानों की तरह हो गए । तब ख़ुदा तआला ने हज़रत अबुबकर सिद्दीक को खड़ा करके पुनः अपनी शक्ति का नमूना दिखाया । और इस्लाम को मिटते मिटते थाम लिया और उस वचन को पूरा किया जो फ़र्माया था,

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا [1]

अर्थात् भय के बाद फिर हम उनके पैर जमा देंगे ऐसा ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समय में हुआ । जबकि हज़रत मूसा मिस्र और किन्आन के

---

1 अन्नूर, आयत-56

मार्ग में बनी इस्राईल को वचन के अनुसार निर्धारित मंज़िल तक पहुँचाने से पहले फ़ौत हो गए । और बनी इस्राईल में उन के मरने से एक बड़ा शोक पड़ गया जैसा कि तौरेत में लिखा है कि बनी इस्राईल इस असमय मृत्यु के दुःख से और हज़रत मूसा की अचानक जुदाई से चालिस दिन तक रोते रहे । ऐसा ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ घटित हुआ और सलीब की घटना के समय समस्त हवारी तित्तर-बित्तर हो गए और एक उन में से विमुख भी हो गया ।

सो ! हे प्रियो ! जब कि पुरातन से अल्लाह की पद्धति यही है कि ख़ुदा तआला दो कुदरतें दिखलाता है ताकि विरोधियों की दो झूठी ख़ुशियों को मिटा कर दिखलादे सो अब सम्भव नहीं है कि ख़ुदा तआला अपनी पुरातन पद्धति को छोड़ देवे । इस लिए तुम मेरी इस बात से जो मैंने तुम्हारे पास ब्यान की दुखी मत हो और तुम्हारे दिल परेशान न हो जाएँ क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का भी देखना आवश्यक है । और उस का आना तुम्हारे लिए उत्तम है क्यों कि वह सदैवी है जिस का काल कयामत तक नहीं टूटेगा और वह दूसरी क़ुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं न जाऊँ । परन्तु मैं जब जाऊँगा तो फिर ख़ुदा उस दूसरी क़ुदरत को तुम्हारे लिए भेज देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी जैसा कि ख़ुदा का ब्राहीने अहमदिय्या में वचन है और वह वचन मेरे अस्तित्व के संबंध में नहीं है बल्कि तुम्हारे संबंध में वचन है जैसा कि ख़ुदा फ़र्माता है कि मैं इस जमाअत को जो तेरे मानने वाले हैं क़यामत तक दूसरों पर विजय दूँगा सो अवश्यक है कि तुम पर मेरी जुदाई का दिन आवे ताकि इसके पश्चात वह दिन आवे जो सदैवी वचन का दिन है वह हमारा ख़ुदा वचनों का सच्चा और निष्ठावान और सच्चा ख़ुदा है वह सब कुछ तुम्हें दिखाएगा जिस का उसने वचन दिया यद्यपि यह दिन दुनिया के आख़री दिन हैं और बहुत बलाएँ हैं जिन के उतरने का समय है पर अवश्य है कि यह दुनिया कायम रहे जब तक वह सारे वचन पूरे न हो जाएँ जिनकी ख़ुदा ने ख़बर दी मैं ख़ुदा की ओर से एक क़ुदरत के रूप में प्रकट हुआ तथा मैं ख़ुदा की एक साक्षात् क़ुदरत हूँ । तथा मेरे बाद कुछ और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत के स्वरूप होंगे । सो ! तुम ख़ुदा की दूसरी क़ुदरत के इंतज़ार में एकत्र हो कर दुआ करते रहो । तथा चाहिए कि हर एक नेकों की जमाअत हर एक देश में

एकत्र होकर दुआ में लगे रहें । ता दूसरी कुदरत आकाश से उतरे । तथा तुम्हें दिखादे कि तुम्हारा ख़ुदा ऐसा क़ादिर ख़ुदा है । अपनी मौत को निकट समझो तुम नहीं जानते कि किस समय वह घड़ी आ जाएगी।

और चाहिए कि जमाअत के बज़ुर्ग जो पवित्र आत्मा रखते हैं मेरे नाम पर मेरे बाद लोगों से बैअत (दीक्षित) लें ।* ख़ुदा तआला चाहता है कि उन समस्त रूहों को जो ज़मीन के विभिन्न आबादियों में बसी हैं। क्या युरोप और क्या एशिया उन सब को जो नेक स्वभाव रखते हैं तौहीद (एकेश्वरवाद) की ओर खींचे और अपने बन्दों को एक धर्म पर एकत्र करे । यही ख़ुदा तआला का उद्देश्य है । जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया । अतः तुम इस उद्देश्य की पैरवी करो, मगर नरमी और उच्च आचरण और दुआओं पर ज़ोर देने से । और जब तक कोई ख़ुदा से रूहल क़ुद्स (पवित्र आत्मा) पाकर खड़ा न हो सब मेरे बाद, मिल कर काम करो ।

और चाहिए कि तुम भी हमदर्दी और अपने आपको पवित्र करने के लिए पवित्र आत्मा से हिस्सा लो कि सिवाए पवित्र आत्मा के वास्तविक संयमता प्राप्त नहीं हो सकती और मनोवेग को बिल्कुल छोड़ कर ख़ुदा की प्रसन्नता के लिए वह मार्ग पकड़ो जो उस से अधिक कोई मार्ग तंग न हो । दुनिया के स्वादों पर मुग्ध न हो कि वह ख़ुदा से जुदा करती हैं और ख़ुदा के लिए कठिन जीवन अपनाओ । दर्द (पीड़ा) जिस से खुदा राज़ी हो उस स्वाद से उत्तम है जिस से ख़ुदा नाराज़ हो जाए और वह पराजय जिस से ख़ुदा राज़ी हो उस विजय से

---

* *ऐसे लोगों का निर्वाचन मोमिनो की सर्व सम्मिति पर होगा । सो ! जिस व्यक्ति के सम्बंध में 40 (चालीस) मोमिन सहमति करेंगे कि वह इस बात के योग्य है कि मेरे नाम पर लोगों से बैअत लें । वह बैअत लेने का अधिकारी होगा और चाहिए कि वह अपने आपको दूसरों के लिए नमूना बनादे । ख़ुदा ने मुझे ख़बर दी है कि मैं तेरी जमाअत के लिए तेरी ही सन्तान से एक व्यक्ति को क़ायम करूँगा और उस को अपनी निकटता एवं वाणी से विशिष्ट करूँगा तथा इसके माध्यम से हक़ (सच्चाई) उन्नति करेगा और बहुत से लोग सच्चाई को क़बूल करेंगे । सो ! उन दिनों की प्रतीक्षा करो और तुम्हें याद रहे कि हर एक की पहचान उसके वक्त पर होती है और समय से पूर्व सम्भव है कि वह साधारण व्यक्ति दिखाई दे या कुछ धोखा देने वाले विचारों के कारण आपत्तिजनक ठहरे जैसा कि समय से पूर्व एक कामिल (सम्पूर्ण) व्यक्ति बनने वाला भी गर्भ में मात्र एक वीर्य या लोथड़ा होता है ।*

बेहतर है जो इलाही प्रकोप का कारण हो । उस प्रेम को छोड़ दो जो ख़ुदा के प्रकोप के निकट करे । यदि तुम साफ़ दिल हो कर उसकी ओर आ जाओ तो हर एक मार्ग में वह तुम्हारी सहायता करेगा और कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकेगा । ख़ुदा की प्रसन्नता को तुम किसी तरह प्राप्त ही नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी इच्छा छोड़ कर; अपने आनंद छोड़ कर; अपनी इज़्ज़त छोड़ कर; अपना माल छोड़कर; अपनी जान छोड़ कर उसकी राह में वह कठिनाई न उठाओ जो मृत्यु का दृश्य तुम्हारे सामने पेश करती है परन्तु यदि तुम कठिनाई सहन कर लोगे तो एक प्यारे बालक की तरह ख़ुदा की गोद में आ जाओगे और तुम उन सच्चों के उत्तराधिकारी किए जाओगे जो तुमसे पूर्व गुज़र चुके हैं और हर एक नेअमत के दरवाज़े तुम पर खोले जाएँगे । परन्तु थोड़े हैं जो ऐसे हैं ख़ुदा ने मुझे सम्बोधित करके फरमाया कि तक़्वा (संयमता) एक ऐसा वृक्ष है जिसको दिल में लगाना चाहिए वही पानी जिससे तक़्वा परवान चढ़ता है सारे बाग़ को सिंचित कर देता है । तक़्वा एक ऐसी जड़ है कि यदि वह नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है और यदि वह बाक़ी रहे तो सब कुछ बाकी है । इन्सान को उन व्यर्थ बातों से क्या लाभ जो ज़ुबान से ख़ुदा को पाने का दावा करता है पर सच्चा संकल्प नहीं रखता । देखो मैं तुम्हें सच-सच कहता हूँ कि वह व्यक्ति मृत है जो दीन (धर्म) के साथ-साथ कुछ दुनिया की मिलावट रखता है और उस जान से नर्क बहुत निकट है जिसके सभी इरादे ख़ुदा के लिए नहीं हैं बल्कि कुछ ख़ुदा के लिए और कुछ दुनिया के लिए । अतः ! यदि तुम दुनिया की एक कण भर मिलावट अपने उद्देश्य में रखते हो तो तुम्हारी सारी इबादतें बे फ़ायदा हैं । इस सूरत में तुम ख़ुदा की पैरवी नहीं करते अपितु शैतान की पैरवी करते हो । तुम कदापि आशा न करो कि ऐसी हालत में ख़ुदा तुम्हारी सहायता करेगा बल्कि तुम इस अवस्था में ज़मीन के कीड़े हो और थोड़े ही दिनों तक तुम इस प्रकार हलाक हो जाओगे जिस प्रकार कीड़े हलाक होते हैं और तुम में ख़ुदा नहीं होगा बल्कि तुम्हें हलाक करके ख़ुदा ख़ुश होगा । परन्तु यदि तुम अपने वजूद से वास्तव में मर जाओगे तब तुम ख़ुदा में प्रकट हो जाओगे और ख़ुदा तुम्हारे साथ होगा और वह घर बरकत वाला होगा जिसमें तुम रहते होगे और उनकी दीवारों पर ख़ुदा की रहमत उतरेगी जो तुम्हारे घर की दीवारें हैं और वह शहर बरकत

वाला होगा जहां ऐसा व्यक्ति रहता होगा । यदि तुम्हारा जीवन और तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारी हर एक हरकत और तुम्हारी नरमी और गरमी केवल ख़ुदा के लिए हो जाएगी और हर एक कठिनाई और मुसीबत के समय तुम ख़ुदा की परीक्षा नहीं करोगे और सम्बन्ध को नहीं तोड़ोगे बल्कि आगे कदम बढ़ाओगे तो मैं सच-सच कहता हूँ कि तुम ख़ुदा की एक विशेष क़ौम हो जाओगे । तुम भी इंसान हो जैसा कि मैं इन्सान हूँ और वही मेरा ख़ुदा तुम्हारा ख़ुदा है । अत: ! अपनी पवित्र शक्तियों को बरबाद न करो । यदि तुम पूर्ण रूप से ख़ुदा की ओर झुकोगो तो देखो मैं ख़ुदा की इच्छा अनुसार तुम्हें कहता हूँ कि तुम ख़ुदा की एक नेक कौम हो जाओगे । ख़ुदा की श्रेष्ठता अपने दिलों में बिठाओ और उस की तौहीद (एकेश्वरवाद) का इक़रार न केवल ज़ुबान से बल्कि व्यवहारिक रूप से करो ताकि ख़ुदा भी व्यवहारिक रूप से अपनी कृपा और उपकार तुम पर प्रकट करे । छल कपट से बचो तथा मानवता से सच्ची हमदर्दी के साथ पेश आओ । हर एक मार्ग नेकी का अपनाओ । न जाने किस मार्ग से तुम क़बूल किए जाओ ।

तुम्हें ख़ुशख़बरी हो कि निकटता पाने का मैदान ख़ाली है । हर एक क़ौम दुनिया से प्यार कर रही है और वह बात जिस से ख़ुदा प्रसन्न हो उसकी ओर दुनिया का ध्यान नहीं वह लोग जो पूरी शक्ति से इस दरवाज़ा में दाख़िल होना चाहते हैं उन के लिए अवसर है कि अपने जौहर दिखाएँ और ख़ुदा से विशेष उपकार पाएँ । यह ख़्याल मत करो कि ख़ुदा तुम्हें नष्ट कर देगा । तुम ख़ुदा के हाथ का एक बीज हो जो धरती में बीजा गया । ख़ुदा फ़रमाता है कि यह बीज बढ़ेगा और फूलेगा और हर एक तरफ़ से इसकी शाख़ें निकलेंगी और एक बड़ा वृक्ष हो जाएगा । अत: ! कल्याणकारी वह जो ख़ुदा की बात पर ईमान रखे और बीच में आने वाली विपत्तियों से न डरे क्योंकि विपत्तियों का आना भी ज़रूरी है ता ख़ुदा तुम्हारी परीक्षा करे कि कौन अपने बैअत के वचन में सच्चा और कौन झूठा है । वह जो किसी विपत्ति से डगमगा जाएगा वह कुछ भी ख़ुदा की हानि नहीं करेगा तथा दुर्भाग्य उसको नर्क तक पहुँचाएगा । यदि वह पैदा न होता तो उसके लिए अच्छा था । परन्तु वह सब लोग जो अंत तक संतोष करेंगे और उन पर विपत्तियों के भूकम्प आएँगे तथा घटनाओं की आंधियाँ चलेंगी और कौमें हंसी और ठठ्ठा करेंगी और दुनिया उनसे अत्यन्त घृणा का व्यवहार करेगी । वे अन्तत:

विजयी होंगे तथा बरकतों के द्वार उनपर खोले जाएँगे । ख़ुदा ने मुझे सम्बोधित करके फ़र्माया कि मैं अपनी जमाअत को सूचना दूँ कि जो लोग ईमान लाए ऐसा ईमान जो उसके साथ संसार की मिलावट नहीं तथा वह ईमान निफ़ाक़ (शंका) या कायरता से दूषित नहीं तथा वह ईमान आज्ञा पालन की किसी श्रेणी से वंचित नहीं ऐसे लोग ख़ुदा के प्रिय लोग हैं । और ख़ुदा फ़र्माता है कि वही हैं जिनका क़दम सच्चाई का क़दम है ।

ए सुनने वालो सुनो !! कि ख़ुदा तुमसे क्या चाहता है केवल यही कि तुम उसी के हो जाओ उसके साथ किसी को भी भागीदार न करो न आकाश में न धरती में । हमारा ख़ुदा वह ख़ुदा है जो अब भी ज़िन्दा है जैसा कि पहले ज़िन्दा था और अब भी वह बोलता है जैसा कि वह पहले बोलता था और अब भी वह सुनता है जैसा कि पहले सुनता था । यह ग़ल्त विचार है कि इस ज़माना में वह सुनता तो है परन्तु बोलता नहीं । बल्कि वह सुनता है और बोलता भी है । उसकी सभी सिफ़ात (गुण) अनादि तथा अनन्त हैं, कोई गुण भी स्थगित नहीं और न कभी होगा । वह वही वाहिद लाशरीक़ (एक तथा बिना किसी सहयोगी के) है जिसका कोई बेटा नहीं और जिसकी कोई पत्नी नहीं वह वही अद्वितीय है जिसके (समान) कोई दूसरा नहीं और जिसकी तरह कोई व्यक्ति किसी विशेष गुण से विशिष्ट नहीं और जिसके समान कोई नहीं । जिसका कोई सम गुण नहीं जिसकी कोई शक्ति कम नहीं वह निकट है बावजूद दूर होने के और दूर है बावजूद निकट होने के । वह प्रतिरूप स्वरूप दैवीय ज्ञान वालों पर अपने आपको प्रकट कर सकता है । पर उसके लिए न कोई शरीर है और न कोई रूप है और वह सब से ऊपर है पर नहीं कह सकते कि उसके नीचे कोई और भी है और वह सिंहासन पर है पर नहीं कह सकते कि धरती पर नहीं । वह संग्रह है समस्त पूर्ण गुणों का और प्रकाशक है समस्त सत्य और प्रशंसाओं का तथा स्रोत है समस्त विशेषताओं का और जामिअ (संकलन) है सभी शक्तियों का स्रोत है समस्त वरदानों का और लौटने का स्थल है समस्त वस्तुओं का और स्वामी है हर एक देश का और गुणान्वित है हर एक पूर्णता से और पवित्र है हर एक अवगुण और कमज़ोरी से तथा विशिष्ट है उस कार्य में कि धरती वाले और आकाश वाले उसी की

इबादत करें और उस के आगे कोई बात भी अनहोनी नहीं और समस्त आत्माएँ और उनकी शक्तियाँ और समस्त कण और उनकी शक्तियाँ उसी की उत्पत्ति हैं । उस के बिना कोई चीज़ प्रकट नहीं होती वह अपनी शक्तियों और अपनी कुदरतों और अपने चमत्कारों से स्वंय को अपने आप प्रकट करता है तथा उस को उसी द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं वह सच्चों पर हमेशा अपना वजूद प्रकट करता रहता है । तथा अपनी कुदरतें उन को दिखलाता है । इसी से वह परिचित किया जाता है और उसी से उसके पसन्दीदा मार्ग की पहचान की जाती है । वह देखता हैं बिना शारीरिक नेत्रों के और सुनता है बिना शारीरिक कानों के तथा बोलता है बिना शारीरिक ज़ुबान के । इसी प्रकार नैस्ती (बिना-अस्तित्व) से अस्तित्व में लाना उस का कार्य है जैसा कि तुम देखते हो कि स्वप्न के दृश्य में बिना किसी वजूद के एक दुनिया पैदा कर देता है और हर एक नाशवान और लुप्त को विद्यमान दिखला देता है। अतः ! इसी प्रकार उस की समस्त कुदरतें हैं । मूर्ख है वह जो उस की कुदरतों से इंकार करे, नेत्रहीन है वह जो उसकी गहन शक्तियों से बेख़बर है । वह सब कुछ करता है और कर सकता है सिवाए उन कार्यों के जो उसकी शान के विरुद्ध हैं या उसके किए हुए वादों के विपरीत हैं तथा वह एक है अपने आप में और गुणों में और कार्यों में और कुदरतों में । तथा उस तक पहुँचने के लिए सारे दरवाज़े बन्द हैं पर एक दरवाज़ा जो कुर्आन मजीद ने खोला है और सारी नबुव्वतें और सारी किताबें जो पहले गुज़र चुकीं उनकी अलग तौर पर पैरवी की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि नबुव्वते मुहम्मदिय्या उन सब की संयुक्त एवं व्यापक है और सिवाए इसके सब राहें बंद हैं । सारी सच्चाईयाँ जो ख़ुदा तक पहुँचाती हैं इसी के अन्दर हैं न इसके बाद कोई नई सच्चाई आएगी और न इस से पहले कोई ऐसी सच्चाई थी जो इस में विद्यमान नहीं । इसलिए इस नबुव्वत पर सारी नबुव्वतों का अन्त है और होना चाहिए था क्योंकि जिस चीज़ के लिए एक आरम्भ है उस के लिए एक अन्त भी है परन्तु यह नबुव्वत मुहम्मदिय्या अपनी व्यक्तिगता के लाभ फैलाने से असमर्थ नहीं बल्कि सब नबुव्वतों से अधिक इसमें लाभ है । इस नबुव्वत की पैरवी ख़ुदा तक बहुत सरल ढंग से पहुँचा देती है और इसकी पैरवी से ख़ुदा तआला का

प्रेम और उस के संवाद एवं सम्बोधन का उस से बढ़ कर पुरस्कार मिल सकता है जो पहले मिलता था । मगर इसका पूर्ण अनुयायी केवल नबी नहीं कहला सकता क्योंकि परिपूर्ण नबुव्वते मुहम्मदिय्या का इसमें अपमान है । हां उम्मती और नबी दोनों शब्द एक साथ की अवस्था में उस पर लागू हो सकते हैं क्योंकि उस में नबुव्वते मुहम्मदिय्या की सम्पूर्णता का अपमान नहीं अपितु नबुव्वत की चमक इसकी उदारता से अधिकतर प्रकट होती है* और जबकि वह संवाद एवं सम्बोधन अपनी अवस्था और श्रेणी की दृष्टि से अत्यंत दरजे तक पहुँच जाए और उस में कोई मैल एवं कमी बाकी न हो और स्पष्ट रूप से अदृश्य कार्यों पर निर्भर हो तो वही दूसरे शब्दों में नबुव्वत के नाम से नामित होता है । जिस पर सारे नबियों का संयोग है । अतः ! यह सम्भव न था कि वह कौम जिस के लिए फरमाया गया कि :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ[1]

और जिनके लिए यह दुआ सिखाई गई है कि

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ[2]

उनके सारे लोग इस महानपद से वंचित रहते और कोई एक व्यक्ति भी इस पद को न पाता और ऐसी अवस्था में केवल यही ख़राबी नहीं थी कि उम्मते मुहम्मदिय्या नाक़िस और अपूर्ण रहती और सब के सब अन्धों की तरह रहते । बल्कि यह भी खोट था कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की उदार शक्तियों पर दाग़ लगता था और आपकी पवित्र शक्ति दूषित ठहरती थी और उसके साथ वह दुआ जिसका पांच समय नमाज़ में पढ़ना बताया गया था उस का सिखलाना भी निरर्थक ठहरता था ।

परन्तु उस के दूसरी तरफ यह ख़राबी भी थी कि अगर यह कमाल

---

* *इसके बावजूद यह भली भांति याद रखना चाहिए कि नबुव्वत तशरीओ का द्वार आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पश्चात बिल्कुल बंद है तथा क़ुर्आन मजीद के पश्चात् अन्य कोई पुस्तक नहीं जो नए आदेश सिखाए या क़ुर्आन शरीफ़ के आदेश को रद्द करे या उसके अनुसरण को निलंबित करे बल्कि उसका चलन क़यामत तक है।*

1. *आले-इम्रान आयत 111 ।* 2. *अल्-फ़ातिहा आयत 6,7*

उम्मत के किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर नूरे नबुव्वते मुहम्मदिय्या के अनुसरण के बिना मिल सकता तो ख़त्मे नबुव्वत के अर्थ ग़लत होते थे अत: इन दोनों ख़राबियों से सुरक्षित रखने के लिये ख़ुदा तआला ने शुद्ध, पवित्र एवं सम्पूर्ण संवाद व सम्बोधन की प्रतिष्ठा ऐसे कुछ इन्सानों को प्रदान की जो रसूल पर जान निछावर करने की हालत तक पूर्णदर्जा तक पहुँच गए और कोई ओट मध्य न रही और उम्मती होने का अर्थ और पैरवी का अर्थ पूर्ण और उच्च दर्जा पर उनमें पाए गए । ऐसे तौर पर कि उनका अस्तित्व अपना अस्तित्व न रहा । बल्कि उनके तल्लीनता (महवियत) के दर्पण में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का अस्तित्व प्रतिविम्बित हो गया । और दूसरी ओर उत्तम एवं पूर्णतम रूप से ईश्वरी संवाद एवं सम्बोधन नबियों की भांति उनको प्राप्त हुआ ।

अत: इस तरह पर विभिन्न इन्सानों ने बावजूद उम्मती होने के नबी होने की उपाधि पाई क्योंकि इस प्रकार की नबुव्वत, नबुव्वते मुहम्मदिय्या से अलग नहीं बल्कि अगर ग़ौर से देखो तो ख़ुद वह नबुव्वते मुहम्मदिय्या ही है जो एक नयी शैली में प्रकट हुई । यही अर्थ इस वाक्य का है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मसीह मौऊद के संदर्भ में फर्माया कि नबी उल्लाह व इमामुकुम मिनकुम अर्थात् वह नबी भी है और उम्मती भी है, वरना दुसरे को इस स्थान क़दम रखने की जगह नहीं । मुबारक वो जो इस भेद को समझे ता हलाक होने से बच जाए । ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ुदा ने मृत्यु दे दी जैसा कि ख़ुदा तआला कि साफ़ और स्पष्ट आयत :

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ[1]

इस बात पर गवाह है जिस का अर्थ संबन्धित आयात के साथ यह है कि ख़ुदा क़यामत को ईसा से पूछेगा कि क्या तूने ही अपनी उम्मत को ये शिक्षा दी थी कि मुझे और मेरी माँ को ख़ुदा कर के मानो तो वह जवाब देंगे कि जब तक मैं उन में था उन पर गवाह था और उनका संरक्षक था और जब तूने मुझे मृत्यु दे दी तो फिर मुझे क्या ज्ञान था कि मेरे पश्चात् वह किस

---

1. *अल्-मायेदह आयत 118*

गुमराही में पड़ गए । अब अगर कोई चाहे तो आयत فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي का यह अर्थ करे कि जब तूने मुझे मृत्यु दे दी । और चाहे तो अपनी व्यर्थ की हठ से बाज़ न आ कर यह अर्थ करें कि जब तूने भौतिक शरीर के साथ मुझे आसमान पर उठा लिया । वास्तव में इस आयत से यह प्रमाणित होता है कि हज़रत ईसा दुबारा संसार में नहीं आएँगे । क्योंकि अगर वो क़यामत से पहले दुबारा दुनिया में आए होते और सलीब तोड़ी होती तो इस स्थिति में संभव नहीं कि ईसा जो ख़ुदा का नबी था ऐसा स्पष्ट झूठ ख़ुदा के सामने क़यामत के दिन बोलेगा कि मुझे कुछ भी ख़बर नहीं कि मेरे बाद मेरी उम्मत ने ऐसा झुठा मत ग्रहण किया कि मुझे और मेरी मां को ख़ुदा ठहरा दिया । क्या वह व्यक्ति जो दोबारा संसार में आए और चालीस वर्ष संसार में रहे और ईसाइयों से लड़ाईयाँ करे वह नबी कहला कर ऐसा घृणित झूठ बोल सकता है कि मुझे कुछ भी ख़बर नहीं अतः जबकि यह आयत हज़रत ईसा को दुबारा आने से रोकती है । वरना वो झूठे ठहरते हैं । तो अगर वह अपने भौतिक शरीर के साथ आसमान पर हैं और इस आयत की व्याख्या के अनुसार क़यामत के दिन तक धरती पर नहीं उतरेंगे । तो क्या वो आसमान पर ही मरेंगे और आकाश में ही उनकी क़ब्र होगी परन्तु आकाश पर मरना आयत فيها تموتون (अल्-अअ्राफ, आयत 26) के विपरीत है । अतः इस से यही प्रमाणित हुआ कि वह आसमान पर अपने भौतिक शरीर के साथ नहीं गए बल्कि मृत हो कर गए और जिस हालत में किताबुल्लाह ने उत्तम व्याख्या द्वारा यह फ़ैसला कर दिया तो फिर किताबुल्लाह का विद्रोह करना अगर गुनाह नहीं तो और क्या है।

अगर मैं न आया होता तो केवल इज्तिहादी (धार्मिक सिद्धान्त की व्याख्या के प्रयास में) ग़लती क्षमा योग्य थी लेकिन जब मैं ख़ुदा की ओर से आ गया और स्पष्ट और सच्चे अर्थ क़ुर्आन शरीफ़ के खुल गये तो फिर भी ग़ल्ती को न छोड़ना ईमानदारी का ढंग नहीं । मेरे लिये ख़ुदा के निशान आसमान पर भी प्रकट हुए और धरती पर भी । और शताब्दी का भी लगभग चौथा भाग गुज़र गया और हज़ारों निशान प्रकट हो गए और संसार की आयु से सातवां हज़ार शुरू हो गया तो फिर अब भी सत्य को स्वीकार न करना ये

किस प्रकार की सख़्त दिली है । देखो मैं ऊंची आवाज़ से कहता हूँ कि ख़ुदा के निशान अभी ख़त्म नहीं हुए उस पहले भूकम्प के निशान के बाद जो 4 अप्रैल 1905 में प्रकट हुआ जिस की एक मुद्दत पहले ख़बर दी गई थी । फिर ख़ुदा ने मुझे ख़बर दी कि वसंत के ज़माना में एक और सख्त ज़लज़ला आने वाला है वह वसंत के दिन होंगे न मालूम कि वह आरम्भ वसंत का होगा जबकि वृक्षों पर पत्ता निकलता है या मध्य उसका या अन्त के दिन जैसा कि वही इलाही (ईश्वर वाणी) शब्द के यह हैं :

फिर बहार आई ख़ुदा की बात फिर पूरी हुई चूँकि पहला भूकम्प भी बहार के दिनों में था इस लिये ख़ुदा ने ख़बर दी कि वह दूसरा भूकम्प भी बहार में ही आएगा और चूँकि अंत जनवरी में कुछ वृक्षों का पत्ता निकलना शुरू हो जाता है इस लिये इसी महीना से डर के दिन शुरू होंगे और शायद मई के अंत तक वह दिन रहेंगे ।*

और ख़ुदा ने फ़रमाया زلزلة الساعه अर्थात् वह भूकम्प क़यामत का नमूना होगा और फिर फ़रमाया : لک نری ایاتٍ و نھدم ما یَعْمرون[1]

अर्थात् तेरे लिए हम निशान दिखाएँगे । तथा जो इमारतें बनाते जाएँगे, हम उनको गिराते जाएँगे । और फिर फरमाया भूंचाल आया तथा तीव्रता से आया तथा धरती उत्थल-पुत्थल कर दी अर्थात् एक सख़्त भूकंप आएगा और धरती को अर्थात धरती के कुछ भागों को अस्त-व्यस्त कर देगा जैसे कि लूत अलैहिस्सलाम के युग में हुआ । और फिर फ़रमाया

اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ بَغْتَةً

अर्थात् मैं गुप्त रूप से सेना के साथ आऊँगा । उस दिन की किसी को

---

* *मुझे मालूम नहीं कि वसंत के दिनों से अभिप्राय यही वसंत के दिन हैं जो इस जाड़े के गुज़रने के बाद आने वाले हैं या किसी और वक्त पर इस भविष्यवाणी का प्रकटन स्थगित है जो वसंत का वक्त होगा । निश्चित रूप से ख़ुदा तआला के कलाम से मालूम होता है कि वह वसंत के दिन होंगे चाहे कोई वसंत हो मगर ख़ुदा एक ऐसे व्यक्ति की तरह आएगा जो रात को गुप्त रूप से आता है । यही ख़ुदा ने मुझे फरमाया है ।*

1. *एक ख़ुदा की वही (ईशवाणी) इस सम्बंध में यह भी है, तेरे लिए मेरा नाम चमका ।*

भी ख़बर नहीं होगी । जैसे कि लूत की बस्ती जब तक अस्त-व्यस्त नहीं की गई किसी को खबर न थी तथा सब खाते-पीते तथा ऐश करते थे कि अचानक धरती उलटाई गई । अतः ! ख़ुदा फरमाता है कि इस जगह भी ऐसा ही होगा । क्योंकि पाप हद से बढ़ गया तथा मनुष्य हद से अधिक संसार से प्रेम कर रहा है । तथा ख़ुदा के मार्ग को निंदनीय दृष्टि से देखा जाता है तथा फिर फरमाया जीवन का अंत तथा फिर मुझे सम्बोधित करके फरमाया

قَالَ رَبُّکَ اِنَّهٗ نَازِلٌ مِّنَ السَّمَآءِ مَایُرْضِیْکَ رَحْمَةً مِّنَّا وَکَانَ اَمْرًا مَّقْضِیًّا

अर्थात् तेरा रब्ब कहता है कि एक आदेश आकाश से उतरेगा जिससे तू प्रसन्न हो जाएगा । यह हमारी ओर से रहमत है । तथा यह निर्णयी बात है जो आरम्भ से ही निश्चित थी और आवश्यक है आकाश उस आदेश के प्रकट करने से रुका रहे जब तक कि यह भविष्यवाणी क़ौमों में फैल जाए कि कौन है जो हमारी बातों पर ईमान लाऐ सिवाए उस के कि ख़ुश क़िस्मत हो ।

याद रहे कि यह घोषणा भय के फैलाने के लिए नहीं अपितु भविष्य के भय से रोकने के लिए है ताकि कोई बेख़बरी में हलाक न हो । हर एक कार्य निय्यत से बंधा है । अतः हमारी निय्यत दुःख देने की नहीं बल्कि दुःख से बचाने की निय्यत है । वह लोग जो तौबा करते हैं ख़ुदा के प्रकोप से बचाए जाएँगे । मगर वह बदकिस्मत जो तौबा नहीं करता तथा ठट्ठे की सभाओं कों नहीं छोड़ता तथा बदकारी तथा पाप से बाज़ नहीं आता उसकी हलाकत के दिन निकट हैं, क्योंकि उसकी चंचलता खुदा की दृष्टि में प्रकोप के योग्य है ।

इस जगह एक और विषय वर्णन योग्य है कि जैसा कि मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ कि ख़ुदा ने मुझे मेरी मृत्यु की सूचना दी है । तथा मुझे सम्बोधित करके मेरी जीवनी के संबंध में फ़रमाया कि बहुत थोड़े दिन रह गऐ हैं तथा फ़रमाया कि समस्त घटनाओं एवं प्राकृतिक चमत्कारों के दिख़लाने के पश्चात् तुम्हारी घटना घटेगी । यह इस बात की ओर संकेत है कि आवश्यक है कि मेरी वफ़ात (मौत) से पूर्व संसार पर कुछ घटनाएँ घटें तथा कुछ प्राकृतिक चमत्कार प्रकट हों ताकि संसार एक इंकिलाब के लिये तैय्यार हो जाए और उस इंकिलाब के पश्चात् मेरी मृत्यु हो तथा मुझे एक जगह दिखाई

दी गई कि यह तेरी क़बर की जगह होगी । एक फ़रिश्ता मैंने देखा कि वह ज़मीन को माप रहा है, तब एक जगह पर पहुँच कर उसने मुझे कहा कि यह तेरी क़बर की जगह है । फिर एक जगह मुझे एक क़बर दिखाई कि वह चांदी से अधिक चमकती थी तथा उसकी सारी मिट्टी चांदी की थी, तब मुझे कहा गया कि यह तेरी क़बर है । तथा एक जगह मुझे दिखाई गई तथा उसका नाम बहिश्ती मक़बरा रखा गया तथा प्रकट किया गया कि वह जमाअत के उन महात्मा लोगों की क़बरें हैं जो बहिश्ती (स्वर्गीय) हैं तब से सदैव मुझे यह चिन्ता रही कि जमाअत के लिये एक ज़मीन का टुकड़ा क़ब्रिस्तान के उद्देश्य से ख़रीदा जाए परन्तु क्योंकि जगह की अच्छी ज़मीने बहुत मुल्य से मिलती थीं इस लिये यह उद्देश्य लम्बे समय तक स्थगित रहा । अब मेरे भाई मौलवी अब्दुल करीम की मृत्यु के पश्चात जब्कि मेरी मृत्यु के संबन्ध में भी बार-बार आकाशवाणी हुई । मैंने उचित समझा कि कब्रिस्तान का शीघ्र प्रबंध किया जाए इस लिए मैंने अपने स्वामित्व की ज़मीन जो हमारे बाग़ के निकट है जिसका मुल्य हज़ार रुपये से कम नहीं इस कार्य के लिए नियुक्त की तथा मैं दुआ करता हूँ कि ख़ुदा इसमें बरकत दे तथा इसी को बहिश्ती मक़बरा बना दे तथा यह इस जमाअत के पाक दिल लोगों का स्वप्नगृह हो जिन्होंने वास्तव में धर्म को दुनिया पर श्रेष्ट कर लिया तथा संसार का प्रेम त्याग दिया । और ख़ुदा के लिये हो गए । तथा पवित्र परिवर्तन अपने अन्दर पैदा कर लिया तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सहाबा की तरह वफ़ादारी तथा सच्चाई का नमूना दिखलाया । आमीन या रब्बल आलमीन ।

फिर मैं दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे क़ादिर ख़ुदा ! इस ज़मीन को मेरी जमाअत में से पवित्र हृदय वालों की क़बरें बना जो वास्तव में तेरे लिए हो चुके तथा संसारिक स्वार्थों की मिलावट उनके क़ारोबार में नहीं । आमीन या रब्बल आलमीन ।

फिर मैं तीसरी बार दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे क़ादिर करीम ! ऐ ख़ुदाए ग़फ़्फ़ार ग़फ़ूरो रहीम ! (क्षमावान एवं दयावान) तू केवल उन लोगों को इस जगह क़बरों की जगह दे जो तेरे इस फ़रिस्तादह (प्रेषित) पर सच्चा ईमान

रखते हैं तथा कोई निफ़ाक़ (शंका) एवं व्यक्तिगत स्वार्थ एवं बद ज़न्नी* सन्देह अपने अन्दर नहीं रखते तथा जैसा कि हक़ ईमान एवं आज्ञाकारी का है बजा लाते हैं तथा तेरे लिए तथा तेरे मार्ग में अपने हृदयों से जान समर्पित कर चुके हैं । जिनसे तू राज़ी है तथा जिनको तू जानता है कि वह पूर्णत: तेरे प्रेम में खोए गए तथा तेरे प्रेषित से निष्ठा एवं पूर्ण सत्कार एवं स्पष्ट ईमान के साथ प्रेम तथा जीवन बलिदान का सम्बन्ध रखते हैं । आमीन या रब्बल आलमीन !

और क्योंकि इस क़ब्रिस्तान के लिए बड़े भारे शुभ समाचार मुझे प्राप्त हुए हैं न केवल ख़ुदा ने यह फ़रमाया कि यह मक़बरा बहिश्ती (स्वर्गीय) है अपितु

---

* *बदज़न्नी निस्सन्देह एक सख़्त बला है जो ईमान को अति शीघ्र जला देती है जैसा कि भड़कती हुई आग घास-फूस को तथा वह जो ख़ुदा के भेजे हुओं पर बुरी धारणा रखता है ख़ुदा उसका ख़ुद दुश्मन हो जाता है तथा उसकी जंग के लिए खड़ा होता है तथा वह अपने महात्माओं के लिये इस क़दर ग़ैरत रखता है जो किसी में उसका उदाहरण नहीं पाया जाता । मेरे पर जब तरह तरह के हमले हुए तो वही ख़ुदा की ग़ैरत मेरे लिए भड़क उठी जैसा कि उसने फ़रमाया*

اِنِّیْ مَعَ الرَّسُوْلِ اَقُوْمُ وَاَلُوْمُ مَنْ یَّلُوْمُ وَاُعْطِیْکَ مَایَدُوْمُ لَکَ دَرَجَۃٌ فی السَّمَآءِ وَفِی الَّذِیْنَ ھُمْ یُبْصِرُوْنَ. وَلَکَ نُرِیَ اٰیٰتٍ وَنَھْدِمُ مَا یَعْمُرُوْنَ. وَقَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْھَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْھَا. قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ. اِنِّی مُھِیْنٌ مَنْ اَرَادَ اِھَانَتَکَ. لَاتَخَفْ اِنِّیْ لَایَخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُوْنَ. اَتٰی اَمْرُ اللّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ بِشَارَۃٌ تَلَقَّاھَاالنَّبِیُّوْنَ. یَااَحْمَدِیْ اَنْتَ مُرَادِیْ وَمَعِیْ. اَنْتَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَۃِ تَوْحِیْدِیْ وَتَفْرِیْدِیْ وَاَنْتَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَۃٍ لَّا یَعْلَمُھَا الْخَلْقُ. وَاَنْتَ وَجِیْہٌ فِیْ حَضْرَتِیْ. اِخْتَرْتُکَ لِنَفْسِیْ اِذَا غَضِبْتَ غَضِبْتُ وَکُلَّمَا اَحْبَبْتَ اَحْبَبْتُ. اٰثَرَکَ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ. اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَکَ الْمَسِیْحَ ابْنَ مَرْیَمَ. لَایُسْئَلُ عَمَّایَفْعَلُ وَھُمْ یُسْئَلُوْنَ. وَکَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا. یَعْصِمُکَ اللّٰہُ مِنَ الْعِدَا. وَیَسْطُوْ بِکُلِّ مَنْ سَطَا. ذٰالِکَ بِمَا عَصَوْا وَّکَانُوْا یَعْتَدُوْنَ. اَلَیْسَ اللّٰہُ بِکَافٍ عَبْدَہٗ. یٰجِبَالُ اَوِّبِیْ مَعَہٗ وَالطَّیْرُ. کَتَبَ اللّٰہُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ. وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُوْنَ. اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِیْنَ ھُمْ مُّحْسِنُوْنَ. اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِنَّ لَھُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّھِمْ. سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ. وَامْتَازُوا الْیَوْمَ اَیُّھَا الْمُجْرِمُوْنَ. منہ

यह भी फ़रमाया कि اُنْزِلَ فِيْهَا كُلُّ رَحْمَةٍ (उनज़िला फ़ीहा कुल्लु रहमतिन) अर्थात हर प्रकार की रहमत इस कब्रिस्तान में उतारी गई है तथा किसी प्रकार की रहमत नहीं जो इस क़ब्रिस्तान वालों को उस से हिस्सा नहीं। इस लिये ख़ुदा ने मेरा दिल अपनी गुप्त वाणी से इस ओर आकर्षित किया कि ऐसे कब्रिस्तान के लिए ऐसी शर्तें लगा दी जाएँ कि वही लोग इस में दाख़िल हो सकें जो अपनी सच्चाई और पूर्ण नेक चलनी के कारणों से उन शर्तों के पाबन्द हों। अतः ! वह तीन शर्तें हैं, तथा सब को पूरा करना होगा।

1. इस क़ब्रिस्तान की मौजूदा ज़मीन चन्दे के रूप में मैंने अपनी ओर से दी है। परन्तु इस स्थान की पूर्णता के लिए कुछ और ज़मीन ख़रीदी जाएगी। जिसका मुल्य सम्भवतः हज़ार रुपया होगा तथा इसको सुन्दर बनाने के लिए कुछ वृक्ष लगाए जाएँगे तथा एक कुआं लगाया जाएगा तथा इस क़ब्रिस्तान से उत्तर की ओर बहुत पानी ठहरा रहता है जो रास्ता है इस लिए वहां एक पुल तयार किया जाएगा तथा इन विभिन्न ख़र्चों के लिए 2000 रुपये चाहिए होंगें सो यह कुल 3000 रुपये हुए। जो इस समस्त कार्य की पूर्ति के लिए ख़र्च होंगे। इस लिए पहली शर्त यह है कि हर एक व्यक्ति जो इस क़ब्रिस्तान में दफ़न होना चाहता है वह अपनी क्षमता अनुसार इन खर्चों के लिए चन्दा दाख़िल करे तथा यह चन्दा केवल उन्हीं लोगों से मांगा गया है न कि दूसरों से। वास्तव में यह चन्दा मेरे भाई मुकर्रम मौलवी नूरुद्दीन साहिब के पास आना चाहिए परन्तु यदि ख़ुदा तआला ने चाहा तो यह सिलसिला हम सब की मृत्यु के बाद भी जारी रहेगा। इस रूप में एक अंजुमन चाहिए कि ऐसी आय का रुपया जो समय समय पर एकत्र होता रहेगा इस्लामी कलिमा की उत्थान एवं एक ईश्वरवाद के प्रसार में जिस प्रकार उचित समझें खर्च करें।

2. दूसरी शर्त यह है कि समस्त जमाअत में से वही इस क़ब्रिस्तान में दफ़न किया जाएगा जो यह वसिय्यत करे जो उस की मृत्यु के पश्चात दसवां भाग उसकी समस्त छोड़ी हुई सम्पत्ति का शर्त अनुसार इस सिलसिला में इस्लाम के प्रसार तथा क़ुर्आन की हुक्मों के प्रचार में ख़र्च होगा। तथा हर एक सच्चे एवं पूर्ण ईमान वाले को अधिकार होगा कि अपनी वसिय्यत में इससे भी अधिक लिख दे, परन्तु इस से कम नहीं होगा तथा यह वित्तीय आय एक दयानतदार एवं

विद्वानी अंजूमन के सपुर्द रहेगी और वह आपसी मशवरे से इस्लाम की उन्नति तथा इल्मे क़ुर्आन के प्रकाशन व दीनी किताबों और इस सिलसिला के धर्मोपदेशकों के लिये आदेश अनुसार उपरोक्त ख़र्च करेंगे तथा ख़ुदा तआला का वचन है कि वह इस सिलसिला को प्रगति देगा इस लिए आशा की जाती है कि इस्लाम के प्रचार के लिए ऐसे माल भी बहुत एकत्र हो जाएँगे । तथा हर एक कार्य जो इस्लाम के प्रचार के सुधार में दाख़िल है जिस की अब व्याख्या करना समय से पूर्व है । वह समस्त कार्य इस धन से सम्पूर्ण होंगे और जब एक गिरोह जो इस कार्य के करने का उत्तरदायी है फ़ौत हो जायेगा तो वे लोग जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनका भी यही कर्त्तव्य होगा कि उन सभी सेवाओं को सिलसिला अहमदिय्या के निर्देशानुसार करें । इस पूरे धन में से उन अनाथों तथा दरिद्रों और नव मुस्लिमों का भी अधिकार होगा जो रोज़गार के पर्याप्त साधन नहीं रखते तथा सिलसिला अहमदिय्या में शामिल हैं । और उचित होगा कि उस धन को व्यापार के रूप में वृद्धि दी जाए । यह विचार मत करो कि यह केवल कल्पना से परे की बातें हैं । बल्कि यह उस क़ादिर का इरादा है । जो पृथ्वी और आकाश का बादशाह है मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि यह धन किस प्रकार एकत्रित होंगे और ऐसी जमाअत किस प्रकार पैदा होगी जो ईमानदारी के जोश से यह मर्दाना काम दिखलाए अपितु मुझे यह चिन्ता है कि हमारे ज़माने के पश्चात् वह लोग जिनके ज़िम्मे ऐसे धन किए जायें वह धन की अधिकता को देखकर ठोकर न खावें और दुनिया से प्रेम न करें । अत: मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे अमीन (अमानतदार) सदा इस सिलसिला को हाथ आते रहें जो ख़ुदा के लिए काम करें । हाँ उचित होगा कि जिन का कुछ गुज़ारा न हो उनको सहयोग स्वरूप ख़र्च इसमें से दिया जाए ।

3. तृतीय शर्त यह है कि इस क़ब्रिस्तान में दफ़न होने वाला मुत्तकी हो और अवैध कार्यों से बचता हो और कोई शिर्क और कुप्रथा का काम न करता हो सच्चा और साफ़ मुसलमान हो ।

4. प्रत्येक सदाचारी जो उसकी कोई भी सम्पत्ति नहीं और धन द्वारा कोई सेवा नहीं कर सकता यदि यह प्रमाणित हो कि वह धर्म के लिए अपना जीवन वक़्फ़ रखता था और सदाचारी था तो वह इस कब्रिस्तान में दफ़न हो सकता है ।

आदेश

1. प्रत्येक व्यक्ति जो आदेश उपरोक्त शर्तों के अनुसार कोई वसिय्यत करना चाहे तो उनकी वसिय्यत पर अमल दरामद उनकी मृत्यु के पाचात् होगा परन्तु वसिय्यत को लिखकर इस सिलसिला के अमीन कार्यभारी को सौंप देना अनिवार्य होगा । और ऐसा ही छाप कर प्रकाशित करना भी । क्योंकि मृत्यु के समय अधिकतर वसिय्यतकर्ता का लिखना मुश्किल हो जाता है और चूँकि आसमानी निशानों और संकटों के दिन निकट हैं इसलिए ख़ुदा तआला के निकट ऐसे समय में वसिय्यत लिखने वाला बहुत दर्जा रखता है जो अमन की हालत में वसिय्यत लिखता है और इस वसिय्यत के लिखने में जिसका धन सदा सहयोग देने वाला होगा उसको सदैव पुण्य होगा और सदा प्रचलित दान के आदेश में होगा ।

2. प्रत्येक व्यक्ति जो किसी दूसरी जगह में हों । जो क़ादियान से दूर इस देश के किसी और प्रान्त में हों और वह इन शर्तों के पाबन्द हों जो दर्ज हो चुकी हैं तो उनके उत्तराधिकारियों को चाहिए कि उनकी मृत्यु के पश्चात् एक सन्दूक में उनके मृत शरीर को रखकर कादियान में पहुँचा दें और अगर इस कब्रिस्तान की पूर्णता से पहले अर्थात् पुल इत्यादि की तैयारी से पहले कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करें जो शर्तों के अनुसार इस कब्रिस्तान में दफन होगें तो चाहिए कि अमानत स्वरूप सन्दूक में रखकर अपनी जगह दफ़न किए जाएँ फिर सभी आवश्यक बातों की तैयारी के पश्चात् जो कब्रिस्तान के सन्दर्भ में हैं कादियान में उनका मृत शरीर लाया जाए परन्तु वह व्यक्ति जो सन्दूक के बिना दफ़न किए जाएँ उनका कबर में से निकालना उचित न होगा ।*

स्पष्ट हो कि ख़ुदा तआला की इच्छा है कि ऐसे पूर्ण विश्वासी एक ही स्थान में दफ़न हों ताकि भविष्य की नसलें एक ही स्थान में उनको देखकर

---

* *कोई नादान इस कब्रिस्तान और इस व्यवस्था को कुप्रथा अन्तर्गत न समझे क्योंकि यह व्यवस्था ईश्वरीय आकाशवाणी अनुसार है मानव का इसमें हस्तक्षेप नहीं । और कोई यह ख़्याल न करे कि केवल इस कब्रिस्तान में प्रवेश करने से कोई स्वर्गीय क्योंकर हो सकता है क्योंकि यह अर्थ नहीं है कि यह धरती किसी को स्वर्गीय कर देगी अपितु ख़ुदा की वाणी का यह अर्थ है कि केवल स्वर्गीय ही इसमें दफ़न किया जाएगा ।*

अपना ईमान ताज़ा करें और ताकि उनके कारनामे अर्थात् जो ख़ुदा के लिए उन्होंने धार्मिक कार्य किए सदा के लिए कौम पर प्रकट हों ।

अन्त में दुआ करते हैं कि खुदा तआला इस काम में प्रत्येक मुखलिस को मदद दे और ईमानी जोश उन में पैदा करे और उनका अन्त उत्तम करे - आमीन !

उचित है कि प्रत्येक व्यक्ति हमारी जमाअत में से जिनको यह लेख मिले वह अपने मित्रों में इसको विज्ञापित करें और जहाँ तक सम्भव हो इसको प्रकाशित करें और अपनी भावी सन्तान के लिए इसको सुरक्षित रखें और विरोधियों को भी सभ्यतापूर्ण इस से सूचित करें और प्रत्येक बदगो (कुवक्ता) की बद गोई पर धैर्य करें और दुआ में लगे रहें ।

व आखिरु दावाना अनिल् हम्दु लिल्लाहे रब्बिल् आलमीन

अर राकिम ख़ाकसार

अल् मुफ़्तक़रु इल ल्ल्लाहिस्समद

ग़ुलाम अहमद आफ़ाहुल्लाहु व अय्यद

20 दिसम्बर 1905 ई.

اَلا اے کہ ہشیاری و پاک زاد پئے حرص دُنیا مدہ دیں بباد
بدیں دار فانی دلِ خود مبند کہ وارد نہاں راحتش صد گزند
اگر باز باشد ترا گوشِ ہوش زگورت ندائے درآید بگوش
کہ اے طعمۂ من پس از چند روز پئے فکر دنیائے دوں کم بسوز
ہراں کو بدُنیائے دُوں مبتلا است گرفتارِ رنج و عذاب و عنا است
برست آنکہ برموت دارد نگاہ بریدہ ز دنیا دو دیدہ براہ
سفر کردہ پیش از سفر سُوئے یار کشیدہ زدنیا ہمہ رخت و بار
پئے دارِ عقبیٰ کمر بستہ چُست رہا کردہ سامان ایں خانۂ سُست
چو کارِ حیات است کارے نہاں ہماں بہ کہ دل بکسلی زیں مکاں
جہنّم کزو داد فرقاں خبر ہمیں حرص دنیا است جانِ پدر
چو آخر ز دنیا سفر کردن است چو روزے ازیں رہ گزر کردن است
چرا عاقلے دل بہ بندد دراں کہ ناگہ وزد برگلِ او خزاں
بدیں قحبہ بستن دلِ خود خطا است کہ ایں دُشمنِ دین وصدق وصفا است
چہ حاصل ازیں دلستانِ دو رنگ کہ گاہے بصلحت کُشد گہ بجنگ
چرا دل نہ بندی بداں دلستاں کہ مہرش رہاند زبندِ گراں
برو فکرِ انجام کن اے غوی زسعدی شنو گرزمن نشنوی

عروسی بود نوبتِ ماتمت
اگر بر نکوئی بود خاتمت

फ़ारसी नज़्म का हिन्दी रूपान्तरण

अला ऐ कि हुशियारी व पाक ज़ाद
पै हिर्स दुनिया मदह दीं बबाद

बदीं दार फानी दिले ख़ुद मबंद
कि वारिद निहाँ राहतश सद गज़न्द

अगर बाज़ बाशद् तुरा गोशे् होश
ज़िगोरत्, निदाये दरआयद बगोश्

कि ऐ तअमई मन् पस अज़ चन्द रोज़
पए फ़िकरे दुन्याए दूँ कम बिसोज़

हर आँ कू, बदुनयाए दूँ मुब्तिला अस्त्
गिरफ़्तारे रन्जो अज़ाब व अना अस्त

बिरस्त आँ कि बर मौत दारद निगाह
बुरेदह ज़िदुन्या दो दीदह बराह

सफ़र करदह पेश अज़ सफ़र सूए यार
कशीदह ज़ि दुनिया हमह रख़्तो बार

पए दारे उक़्बा कमर बस्तह चुस्त
रिहा कर्दह सामाने ईं ख़ाना सुस्त

चू कारे हयात अस्त कारे निहाँ
हमा बिह कि दिल बिगसली ज़ीं मकाँ

जहन्नम कज़ू दाद फ़ुरकाँ ख़बर
हमीं हिरसि् दुन्यास्त जाने पिदर

चू आख़िर ज़ि दुन्या सफ़र कर्दन अस्त
चू रोज़े अज़ीं रह गुज़र करदिन अस्त

चिरा आक़िले दिल ब बंदद आं
कि नागह व ज़द बरगुले ऊ खज़ाँ

बदीं क़ह्बा बस्तन दिले ख़ुद ख़ता अस्त
कि ईं दुश्मने दीनो सिद्क़ो सफ़ा अस्त

चि हासिल अज़ीं दिलसिताने दो रंग
कि गाहे बसुल्हत कुशद् गह बजंग

चिरा दिल न बन्दी बदाँ दिलसितां
कि मिह्रश् रिहानद् ज़ि बन्दे गिराँ

बिरो, फ़िकरे अन्जाम कुन् ऐ ग़वी !
ज़ि सअदी शिनो, गर ज़िमन् नश्नवी

उरूसी बवद नोबते मातमत्
अगर बर निकोई बवद ख़ातमत्

पुस्तिका अल-वसिय्यत से संबंधित ज़मीमा (परिशिष्ट)

अल्-वसिय्यत पुस्तिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित ज़रूरी बातें प्रकाशन योग्य हैं :

1. प्रथम यह कि जब तक अन्जुमन कारपरदाज़ मसालेह कब्रिस्तान (कब्रिस्तान के सम्बन्ध में नियुक्त कार्यकारिणी समिति) इस बात को प्रकाशित न करे कि कब्रिस्तान सम्पूर्ण आवश्यक्ताओं के दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, उस समय तक उचित न होगा कि उसका मृत शरीर जिसने अल्-वसिय्यत पत्रिका की शर्तों की पाबन्दी की है कब्रिस्तान में दफ़न करने के लिए लाया जाए बल्कि पुल इत्यादि आवश्यक वस्तुओं का पहले तैयार हो जाना ज़रूरी होगा और उस समय तक मृत शरीर एक सन्दूक में अमानत के तौर पर किसी और कब्रिस्तान में रखा जाएगा।

2. प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अल् वसिय्यत पत्रिका की शर्तों की पाबन्दी का इक़रार करे ज़रूरी होगा कि वह ऐसा इक़रार कम से कम दो गवाहों की लिखित गवाही लेकर अपनी चेतनावस्था में अन्जुमन को सौंप दे और विस्तार से लिखे कि वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति चल व अचल का दसवां भाग सिलसिला अहमदिय्या के उद्देश्यों के प्रचार के लिए वसिय्यत स्वरूप अथवा वक़्फ़ करता हैं और आवश्यक होगा कि कम से कम दो समाचार पत्रों में इसको छाप दें ।

3. अन्जुमन का यह कर्तव्य होगा कि कानूनी और शरओ तौर पर वसिय्यत की हुई रचना के सम्बन्ध में अपनी पूरी तसल्ली करके वसिय्यत कर्ता को एक सर्टिफ़िकेट अपने हस्ताक्षर और छाप के साथ दे दें और जब उपरोक्त नियमावली अनुसार कोई शव इस कब्रिस्तान में लाया जाए तो ज़रूरी होगा कि वह सर्टिफ़िकेट अन्जुमन को दिखलाया जाए और अन्जुमन के आदेश और स्थान निर्धारण से वह शव उस स्थान में दफन किया जाए जो अन्जुमन ने उसके लिए नियोजित किया है ।

4. इस कब्रिस्तान में सिवाए किसी विशेष परिस्थिति के जो अन्जुमन

तजवीज़ करे नाबालिग़ बच्चे दफ़न नहीं होंगे क्योंकि वह बहिश्ती हैं और न उस कब्रिस्तान में उस मृतक का कोई दूसरा निकट सम्बन्धी दफ़न होगा जब तक वह अपने तौर पर अल्-वसिय्यत पुस्तिका की सम्पूर्ण शर्तों को पूरा न करे।

5. प्रत्येक मृतक जो कादियान की धरती में फौत (मृत्यु प्राप्त) नहीं हुआ उसको सन्दूक के बिना कादियान में लाना अनुचित होगा और यह भी ज़रूरी होगा कि कम से कम एक महीना पहले सूचित करें ताकि अन्जुमन को अगर कब्रिस्तान के सम्बन्ध में आकस्मिक रुकावटें आ गई हों उनको दूर करके अनुमति दे।

6. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ख़ुदा न करे ताऊन (प्लेग) की बीमारी से हो जिन्होंने रिसाला अल्-वसिय्यत की सम्पूर्ण शर्तों को पूरा कर दिया हो उसके सम्बन्ध में यह ज़रूरी आदेश है कि वह दो वर्ष तक सन्दूक में रख कर किसी अलग मकान में अमानतस्वरूप दफन किया जाए और दो वर्ष के बाद ऐसे मौसम में लाया जाए कि उस मरने के स्थान और कादियान में ताऊन न हो।

7. स्मरण रहे कि केवल यह पर्याप्त न होगा कि चल और अचल सम्पत्ति का दसवाँ भाग दिया जाए अपितु आवश्यक होगा कि ऐसा वसिय्यत करने वाला जहाँ तक उसके लिए सम्भव हो इस्लाम के आदेशों का पाबन्द हो और तक़वा, पवित्रता के नियमों में प्रचेष्टा करने वाला हो और मुसलमान, ख़ुदा को एक जानने वाला और उसके रसूल पर सच्चा ईमान लाने वाला हो और यह भी कि बन्दों के अधिकारों को दबाने वाला न हो।

8. यदि कोई व्यक्ति दसवां भाग सम्पत्ति का वसिय्यत करे और आकस्मिक रूप में उसकी मृत्यु ऐसी हो कि उदाहरणस्वरूप किसी नदी में डूबकर उसका निधन हो अथवा किसी दूसरे देश में मृत्यु प्राप्त करे जहाँ से मृत शरीर को लाने में रोक हो तो उसकी वसिय्यत कायम रहेगी और ख़ुदा तआला के निकट ऐसा ही होगा कि मानो वह उसी कब्रिस्तान में दफ़न हुआ है और उचित होगा कि उसके स्मृति में इसी कब्रस्तान में एक शिलालेख ईंट अथवा पत्थर पर लिखकर लगा दिया जाये और इस पर घटनाएँ लिखी जाएँ।

9. अन्जुमन जिसके हाथ में ऐसा रुपया होगा उसको इख़्तियार नहीं होगा कि सिवाय सिलसिला अहमदिय्या के उद्देश्यों के किसी और स्थान पर वह रुपया ख़र्च करे। तथा उन उद्देश्यों में से सब से सर्वोपर इस्लाम का प्रचार होगा और उचित होगा कि अन्जुमन सर्वसम्मति से उस रुपया को व्यापार के माध्यम से बढ़ाए।

10. अन्ज़ुमन के सम्पूर्ण सदस्य ऐसे होंगे जो सिलसिला अहमदिया में दाखिल हों तथा स्वच्छ स्वभाव और दयानतदार हों और यदि भविष्य में किसी के बारे में यह आभास होगा कि वह स्वच्छ स्वभाव वाला नहीं है अथवा वह दयानतदार नहीं अथवा यह कि वह एक चालबाज़ है और दुनिया की मिलावट अपने अन्दर रखता है तो अन्जुमन का कर्तव्य होगा कि अविलम्भ ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से निष्कासित करे और उसके स्थान पर कोई और नियुक्त करे।

11. यदि वसिय्यती सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई झगड़ा आन पड़े तो उस झगड़े; की पैरवी में जो खर्चे हों वह सब वसिय्यती धनों में से दिये जायेंगे।

12. यदि कोई व्यक्ति वसिय्यत करके फिर अपनी किसी आस्था की दुर्बलता के कारण अपनी वसिय्यत से इन्कारी हो जाये अथवा इस सिलसिला से मूंह मोड़ ले तो यद्यपि अन्जुमन ने न्यायिक रूप में उसके माल पर कब्ज़ा कर लिया हो फिर भी उचित न होगा कि वह सम्पत्ति अपने कब्ज़ा में रखे। बल्कि वह सम्पूर्ण सम्पत्ति वापस करना होगी। क्योंकि ख़ुदा किसी के धन का मोहताज नहीं और खुदा के निकट ऐसा धन घृणनीय और अस्वीकार योग्य है।

13. क्योंकि अन्जुमन खुदा के नियुक्त ख़लीफ़ा की उत्तराधिकारी है इसलिए इस अन्जुमन को सांसारिक रंगों से पूर्णतया पवित्र रहना होगा तथा इसके सम्पूर्ण मामिलात अत्यन्त स्वच्छ तथा न्याय पर आधारित होने चाहिएँ।

14. उचित होगा कि इस अन्जुमन के समर्थन व सहयोग के लिए दूरदराज़ के देशों में और अन्जुमनें हों जो इसके आदेशान्र्तगत हों तथा उचित होगा कि यदि वह ऐसे देश में हों कि वहां से मृतक को लाना सरल सम्भव न हो तो उसी स्थान में मृतक को दफ़न कर दें तथा पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से ऐसा व्यक्ति मृत्यु से पहले ही अपने धन के दसवें भाग की वसिय्यत करे तथा

उस वसिय्यती धन पर कब्ज़ा करना उस अन्जुमन का काम होगा जो उस देश में ही है । तथा उत्तम होगा कि वह रुपया उसी देश के दीनी (धार्मिक) उद्देश्यों के लिए खर्च हो । तथा उचित होगा कि कोई आवश्यकता का आभास करके वह रुपया उस अन्जुमन को दिया जाए जिसका हैड क्वाटर अर्थात् मुख्यालय स्थानीय कादियान होगा ।

15. यह आवश्यक होगा कि स्थान इस अन्जुमन का सदैव कादियान रहे क्योंकि खुदा ने इस स्थान को बरकत दी है तथा उचित होगा कि वह भविष्य में आवश्यकताएं अनुभव करके इस काम के लिए कोई यथेष्ठ मकान तैयार करें ।

16. अन्जुमन में कम से कम हमेशा ऐसे दो सदस्य रहने चाहिएँ जो क़ुर्आन तथा हदीस के ज्ञान से पूर्णरूप से परिचित हों तथा यथायुक्त अरबी भाषा का ज्ञान रखते हों तथा सिलसिला अहमदिय्या की किताबों को याद रखते हों ।

17. यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पुस्तिका अल-वसिय्यत के अनुसार वसिय्यत करता है अल्लाह न चाहे कोडी हो जिसकी शारीरिक अवस्था इस लायक न हो जो वह इस कब्रिस्तान में लाया जाए तो, ऐसा व्यक्ति ज़ाहिरी कारणवश उचित न होगा कि इस कब्रिस्तान में लाया जाए । लेकिन अगर अपनी वसिय्यत पर कायम होगा तो उसको वही दर्जा मिलेगा जैसा कि दफ़न होने वाले को ।

18. अगर कोई कुछ भी सम्पत्ति चल अथवा अचल न रखता हो और उसके बारे में प्रमाणित हो कि वह एक नेक दरवेश है और मुत्तक़ी (संय्यमी) और पूर्ण ईमान वाला है और ढोंग या सांसारिक प्रलोभन या आज्ञा पालन में त्रुटि का कोई अंश उसके अन्दर न हो तो वह भी मेरी अनुमति से अथवा मेरे बाद अन्जुमन की सर्वसम्मति सलाह से उस मक़बरा में दफ़न हो सकता है ।

19. यदि कोई व्यक्ति खुदा तआला की विशेष वही (आकाशवाणी) से अस्वीकार किया जाये तो यद्यपि वसिय्यती धन भी पेश करे फिर भी उस कब्रिस्तान में दाख़िल नहीं होगा ।

20. मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ख़ुदा ने छूट रखी है बाकी हर

एक पुरुष हो अथवा महिला उनको इन शर्तों की पाबन्दी ज़रूरी होगी और शिकायत करने वाला मुनाफिक (कपटाचारी) होगा।

यह वह ज़रूरी शर्तें हैं जो ऊपर लिखी गईं। भविष्य में इस मक़बरा बहिश्ती में वह दफ़न किया जाएगा जो इन शर्तों को पूरा करेगा सम्भव है कि कुछ लोग जिनपर बुरी सोच का अंश ग़ालिब हो वह हमें इस कार्यवाही में आरोपों का निशाना बनावें तथा इस व्यवस्था को स्वार्थसिद्धि पर आधारित समझें अथवा इसको बिद्‌अत् (कुसंस्कार) ठहरायें लेकिन याद रहे कि यह ख़ुदा तआला के काम हैं जो चाहता है, करता है। निस्संदेह उसने इरादा किया है कि इस व्यवस्था से ढोंगी और इमान वाले में अंतर करे और हम स्वयं अनुभव करते हैं कि जो लोग इस इलाही (ऐश्वरीय) व्यवस्था पर सूचना पाकर अविलम्ब इस चिन्ता में ग्रस्त होते हैं कि दसवां अंश सम्पत्ति का ख़ुदा के मार्ग में दें। अपितु इससे भी अधिक अपना जोश दिखाते हैं वे अपनी ईमानदारी पर मुहर लगा देते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

الٓمّٓ ۚ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ [1]

क्या लोग यह विचार करते हैं कि में इसी पर प्रसन्न हो जाऊँ कि वह कह दें कि हम ईमान लाये और अभी उनकी परीक्षा न की जाए और यह परीक्षा तो कुछ भी चीज़ नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह अनहुम की परीक्षा जानों की मांग पर की गई और उन्होंने अपने सर ख़ुदा के मार्ग में दिए। फिर ऐसा विचार कि क्यों इसी प्रकार सामान्य अनुमति प्रत्येक को न दी जाये कि वह इस क़ब्रिस्तान में दफ़न किया जाए। कितना वास्तविकता से दूर है अगर यही प्रचलित हो तो ख़ुदा तआला ने हरेक ज़माना में परीक्षा की क्यों नींव डाली। वह हरेक युग में चाहता रहा है कि अपवित्र और पवित्र में अंतर करके दिखलावे। इसलिए अब भी उसने ऐसा ही किया। ख़ुदा तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ज़माना में कुछ हल्की हल्की परीक्षाएँ भी रखी हुई थीं जैसा कि यह भी चलन था कि कोई व्यक्ति आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से किसी प्रकार की सलाह न ले जब तक पहले भेंट ना दे।

---

1. अल्-अनकबूत आयत 2, 3

अतः इस में भी ढोंगियों के लिए विपत्ति थी। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि इस समय की परीक्षाओं में भी उत्तम श्रेणी के सद्भावक जिन्होंने वास्तव में धर्म को संसार पर प्राथमिकता दी है दूसरे लोगों से प्रतिष्ठित हो जाएँगे और प्रमाणित हो जाएगा कि बैअत (दीक्षा) का वचन उन्होंने पूरा करके दिखलाया और अपनी सत्यता प्रकट कर दी। निस्सन्देह यह व्यवस्था ढोंगियों पर अत्यन्त भारी होगी और इससे उनकी छुपी हुई स्थिति प्रकट हो जायेगी और मृत्यु पश्चात् वह पुरुष हों या महिला इस क़ब्रिस्तान में कदापि दफ़न नहीं होंगे।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا[1]

परन्तु इस कार्य में प्राथमिकता दिखलाने वाले सत्यवर्तों में गिने जाएगें और सदैव ही ख़ुदा की उनपर रहमतें होंगी।

अन्त में यह भी स्मरण रहे कि आपत्ति के दिन निकट हैं तथा एक भयंकर भुकम्प जो धरती को नीचे ऊपर कर देगा निकट है अतः वह जो अज़ाब (विपत्ति) देखने से पहले अपना संसार का त्यागी होना प्रमाणित कराएगें और यह भी प्रमाणित करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने मेरे आदेश की पालना की ख़ुदा के निकट वास्तविक मोमिन वही हैं और उसके दफतर (हिसाब) में आगे और पहले आने वाले लिखे जाएंगें तथा मैं सच-सच कहता हूँ कि वह ज़माना निकट है कि एक ढोंगी जिसने संसार से प्रेम करके इस आदेश को टाल दिया है वह विपत्ति के समय आह मारकर कहेगा कि काश ! मैं सम्पूर्ण सम्पत्ति क्या चलित और क्या अचलित खुदा के मार्ग में दे देता और इस विपत्ति से बच जाता। याद रखो कि इस आपदा के देखने के पश्चात ईमान (आस्था) लाभरहित होगा और दान-दक्षिणा व्यर्थ मात्र। देखो मैं बहुत निकटवर्ती विपत्ति (अज़ाब) की तुम्हें सूचना देता हूँ अपने लिये वह आहार जल्द से जल्द एकत्रित करो कि काम आवे। मैं यह नहीं चाहता कि तुमसे कोई धन लूँ और अपने अधिकार में कर लूँ अपितु तुम धर्म के प्रचार के लिए एक अन्जुमन के हवाले अपना धन करोगे और स्वर्गीय जीवन प्राप्त करोगे बहुत से ऐसे हैं कि वह संसार से प्रेम करके मेरे आदेश को टाल देंगें परन्तु

---

1. अल्-बक़र: आयत 11

बहुत जल्द संसार से अलग किये जाएगें तब अन्तिम समय में कहेंगे :

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ [1]

(अर्थात् यह वही है जिसका रहमान ने वचन दिया था और पैग़म्बरों ने सच कहा था ।)

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی

लेखक ख़ाकसार

मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद

ख़ुदा तआला की ओर से मसीह मौऊद

6 जनवरी 1906 ई.

(अख़बार अल् हकम, भाग 10 नम्बर 2, 17 जनवरी 1906 ई.)

---

1. सूर: या-सीन, आयत 53

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

मज्लिस मुअ्तमदीन सदर अन्जुमन अहमदिय्या की पहली सभा का विवरण

आयोजित 29जनवरी 1906 ई.

सभा में उपस्थितगण

हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब सभापति। ख़ान साहिब मुहम्मद अली ख़ान साहिब, साहिबज़ादा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब, मौलवी सय्यद मुहम्मद अहसन साहिब। ख़्वाजा कमालुद्दीन साहिब। डाक्टर सय्यद मुहम्मद हुसैन साहिब सेक्रेटरी मज्लिस्।

क्योंकि कुछ ज़रूरी उपदेश और स्वीकृतियों का देना अत्यन्त ज़रूरी था और बाहर के लोगों को सूचना देने के लिए पर्याप्त समय न था इसलिए हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की अनुमति से नियमों की स्वीकृति के पश्चात् यह सभा की गई।

निम्ननुसार मुद्दे पारित हुए

1. तय पाया कि प्रस्तावित वसिय्यत का मसौदा... स्वीकृत किया जाएँ।

2. तय पाया कि वसिय्यत के मसौदा की फ़िलहाल (अतैव) आठ सौ कापियाँ छपवाई जाएँ और अतः अल् हकम और बदर में भी छपवाया जाएँ।

3. तय पाया कि वसिय्यत करने वालों को निम्नलिखित निर्देश पालन के लिए भेजे जावें और यह निर्देश वसिय्यत के फार्म के नीचे छपवाए जाएँ।

(क) यदि आवश्यक हो तो वसिय्यत करने वाले वसिय्यत का मसौदा... मंगवायें और उसका अनुकरण सादा कागज़ पर फिर से करें और जहाँ जहाँ जगह छोड़ी गई है उसे अवस्थानुसार स्वंय भर लें। वसिय्यत के लिए काग़ज़ मज़बूत लगावें।

(ख) जहाँ तक सम्भव हो वसिय्यत की रजिस्ट्री कराई जावे और

वसिय्यत नामा पर यथा सम्भव साक्षी स्वरूप उत्तराधिकारी तथा वसिय्यत के सहभागियों के हस्ताक्षर हों और साथ ही नगर या गाँव के दो सम्माननीय साक्षी हों।

(ग) वसिय्यत करने वाला और ऐसा ही साक्षी वर्ग चाहे शिक्षित हो अथवा अशिक्षित अपने हस्ताक्षर या मोहरों के अतिरिक्त अंगूठे का निशान ज़रूर लगाए। और जो शिक्षित हैं वह हस्ताक्षर भी करें और पुरुष बायें हाथ का और महिला दायें हाथ का अंगूठा लगाए।

(घ) यदि वसिय्यत करने वाला लिख सकता है तो अपनी वसिय्यत अपने हाथ से लिखे।

(ण) वसिय्यत पर स्टाम्प की ज़रूरत नहीं।

(च) वसिय्यत करने वाले के यदि कोई विशेष हालात हों और उसमें किसी क़ानूनी सलाह की ज़रूरत हो तो वह.... से जो अन्जुमन के क़ानूनी सलाहकार हैं चिठ्ठी लिखकर पूछ लें।

4. पंजाब में जो ज़मीनों के मालिक हैं और उनके लिए वसिय्यत करने में कोई कठिनाइयाँ हैं तो उनके लिए उचित है कि वह जितनी सम्पत्ति की वसिय्यत करना चाहते हैं उसे वसिय्यत के बदले में अपने जीवन में दान कर दें। और दानपत्र पर अपने वास्तविक उत्तराधिकारियों के (अगर कोई हों) हस्ताक्षर कराएँ जिन से ऐसे उत्तराधिकारियों की स्वीकृति पाई जाए और दानपत्र की रजिस्ट्री ज़रूरी है और दान की गई सम्पत्ति का स्थानांतरण-हस्तांतरण मज्लिस मुअ्तमदीन सदर अन्जुमन अहमदिय्या के नाम कराएँ परन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें नई अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसा समय समय में करना होगा।

5. यदि दान उपरोक्त रेज़ूल्यूशन नं. 4 में भी कठिनाई हो तो जितनी भी सम्पत्ति की वह वसिय्यत या दान करना चाहते हैं उसका मूल्य बाज़ार भाव अनुसार निर्धारित करके या उसको बेच कर निर्धारित मूल्य या मूल मूल्य को मज्लिस कारपदाज़ मसालेह क़ब्रिस्तान को सौंप दें परन्तु ऐसी स्थिति में जब वह नई सम्पत्ति अर्जित करें तो उसके सम्बन्ध में भी उन्हें समय समय पर ऐसा ही करना होगा।

6. जो लोग कोई सम्पत्ति नहीं रखते परन्तु आय का कोई स्रोत रखते हैं वे अपनी आय का कम से कम 1/10 भाग प्रति माह अन्जुमन को सौंप दें। यह उनका अधिकार है कि जो चन्दे वह सिलसिला आलिया के सहयोग में उस समय देते हैं उनको इस 1/10 भाग में शामिल रहने दें या अलग कर दें। यदि वह अपने वर्तमान चन्दों को उस 1/10 हिस्सा में शामिल करना चाहते हैं तो जिस प्रकार वे चन्दा भेज रहे हैं भेजते रहें यद्यपि इन चन्दों को घटा कर जो बचे वह बचत रकम फ़नानशल सेक्रेटरी मज्लिस कारपरदाज़ मसालेह क़ब्रिस्तान के नाम भेज दें बाक़ी पत्र आदान प्रदान उस मज्लिस के सेक्रेटरी से करें परन्तु उनको वसिय्यत करनी होगी कि उनके मरने के बाद उनकी छोड़ी हुई सम्पत्ति के कम से कम 1/10 हिस्सा की मालिक अन्जुमन हो।

नोट :- (1) जो व्यक्ति मज्लिस कारपरदाज़ मसालिह क़ब्रिस्तान से संबंधित वसिय्यत या दान के बारे में अधिक क़ानूनी जानकारी प्राप्त करना चाहें वह वसिय्यत या दानपत्र लिखने से पहले पत्र व्यवहार से कर सकते हैं।

(2) विशेष परिस्थिति में मज्लिस मुअतमदीन से पत्र व्यवहार द्वारा तय हो सकता है।

7. कुल रुपया जो चन्दा क़ब्रिस्तान के सम्बन्ध में हो अथवा जो इश्तिहार अल्वसिय्यत के अन्तर्गत, उपरोक्त स्थिति में भेजा जाए वह केवल इस पता पर आना चाहिए। "फ़नानशल सेक्रेटरी मज्लिस कारपरदाज़ मसालेह क़ब्रिस्तान" और किसी व्यक्ति के नाम अथवा किसी और पता पर नहीं आना चाहिए।

ख़ाकसार मुहम्मद अली सेक्रेटरी
29 जनवरी 1906 ई.
नूरुद्दीन 1 जुलाई 1906 ई.

(हस्ताक्षर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम)

मीरज़ा ग़ुलाम अहमद

सय्यदना हज़रत अमीरुल मुअमिनीन ख़लीफ़तुल् मसीह सानी र.अ. के

आदेश

1. तीसरे वसिय्यत का मुद्दा है यह ख़ुदा ने हमारे लिए एक अत्यन्त ही विशेष चीज़ रखी है और इस द्वारा जन्नत को हमारे निकट कर दिया है। अत: वह लोग जिनके दिल में ईमान और श्रद्धा तो है परन्तु वसिय्यत के बारे में सुस्ती दिखाते हैं मैं उन्हें ध्यान दिलाता हूँ कि वे वसिय्यत की ओर जल्दी बढ़ें। इन्हीं सुस्तियों की वजह से देखा जाता है कि कुछ बड़े-बड़े मुख़लिस (श्रद्धालू) फ़ौत हो जाते हैं उनको आजकल करते करते मौत आ जाती है फिर दिल कुढ़ता है और अभिलाषा होती है कि काश, यह भी मुख़्लिसीन के साथ दफ़न किए जाते परन्तु दफ़न नहीं किए जा सकते। सब के दिल उनकी मृत्यु पर महसूस कर रहे होते हैं कि वह मुख़लिस थे और इस योग्य थे कि दूसरे मुख़लिसीन के साथ दफ़न किए जाते परन्तु उनकी थोड़ी सी उपेक्षा और ज़रा सी सुस्ती उसमें रोक हो जाती है। फिर बीसियों हमारी जमाअत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दसवें हिस्से से अधिक चन्दा देते हैं परन्तु वह वसिय्यत नहीं करते। ऐसे दोस्तों को भी चाहिए कि वसिय्यत कर दें। बल्कि ऐसे दोस्तों के लिए तो कोई कठिनाई है ही नहीं। फिर कई ऐसे हैं जो पाँच पैसे या छ: पैसे प्रति रुपिया चन्दा दे रहे होते हैं और केवल दमड़ी या धेला उन्हें वसिय्यत से वंचित कर रहा होता है। अत: थोड़े थोड़े पैसों के अन्तर के कारण हमारी जमाअत के हज़ारों हज़ार आदमी वसिय्यत से वंचित हैं और जन्नत के निकट होते हुए उसमें दाख़िल नहीं होते।

फिर कुछ लोग मृत्यू रोग में वसिय्यत करते हैं। हालांकि यह वसिय्यत स्वीकृत नहीं होती। रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उसे पसंद नहीं फ़रमाया है। वसिय्यत वही है जो जीवित तथा जीवन काल में की जाए। और शंकारहित हो, अत: दोस्तों को चाहिए कि जो वसिय्यत के बराबर चन्दा देते हैं और ऐसे सैंकड़ों आदमी हैं वह हिसाब लगाकर वसिय्यत

कर दें । कुछ अगर विचार करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि केवल एक पैसा अधिक चन्दा देने से उनके लिए जन्नत का वादा हो जाता है अत: जिस कदर हो सके दोस्तों को चाहिए कि वह वसिय्यत करें और मैं विश्वास रखता हूँ कि वसिय्यत करने से ईमानी तरक़्क़ी (आध्यात्मिक उन्नति) ज़रूर होती है जब अल्लाह तआला का वचन है कि वह इस धरती में मुत्तक़ी (संयमी) को दफ़न करेगा तो जो व्यक्ति वसिय्यत करता है उसे मुत्तक़ी बना भी देता है ।''

(अल् फ़ज़ल 1 सितम्बर 1932 ई.)

वसिय्यत जल्दी करो

2. ''अत: जैसा कि मैंने बताया है वसिय्यत व्यापक है उस सम्पूर्ण व्यवस्था पर जो इस्लाम ने स्थापित किया है । कुछ लोग भूल से यह ख़्याल करते हैं कि वसिय्यत का धन केवल इस्लाम के शाब्दिक प्रचार के लिए है परन्तु यह बात उचित नहीं । वसिय्यत शाब्दिक प्रसार और व्यवहारिक प्रसार दोनों के लिए है । जिस प्रकार इसमें प्रचार शामिल है उसी प्रकार इस में उस नवीन व्यवस्था की पूर्ति भी शामिल है जिसके अन्तर्गत हर व्यक्ति की सम्मानजनक रोटी की व्यवस्था की जायेगी । जब वसिय्यत की व्यवस्था सम्पूर्ण होगी तो केवल प्रचार ही इस से न होगा बल्कि इस्लाम के उद्देश्य के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को इस से पूरा किया जाएगा और दु:ख कष्ट और तंगी को संसार से इन्शा अल्लाह मिटा दिया जाएगा । अनार्थ भीख न मांगेगा । विधवा लोगों के आगे हाथ न फैलाएगी । बे सामान परेशान न फिरेगा । क्योंकि वसिय्यत बच्चों की माँ होगी, जवानों की पिता होगी, महिलाओं का सुहाग होगी और अत्याचार के बिना प्रेम और दिली प्रसन्नता के साथ भाई भाई की उसके माध्यम से मदद करेगा और उसका देना व्यर्थ न होगा अपितु प्रत्येक देने वाला ख़ुदा तआला से उत्तम बदला पाएगा । न अमीर घाटे में रहेगा न ग़रीब । न जाति जाति से लड़ेगी अपितु उसका उपकार सम्पूर्ण संसार पर विस्तृत होगा ।

अत: ऐ दोस्तो ! संसार की नई व्यवस्था न मिस्टर चरचिल बना सकते हैं न मिस्टर रोज़वेल्ट बना सकते हैं । यह अटलान्टिक चारटर की घोषणाएँ

सब ढकोंसले हैं और इस में कई खोट कई दोष और कई त्रूटियाँ हैं । नयी व्यवस्थाएँ वही लाते हैं जो ख़ुदा तआला की तरफ़ से भेजे जाते हैं । जिन के दिलों में न धनी की शत्रुता होती है न ग़रीब के प्रति अनुचित प्रेम होता है । जो न पूर्वी होते हैं न पश्चिमी । वह ख़ुदा तआला के पेग़म्बर होते हैं और वही शिक्षा पेश करते हैं जो शान्ति स्थापित करने का वास्तविक साधन होती है । अत: आज वही शिक्षा शान्ति स्थापित करेगी जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के द्वारा आई है और जिस की नींव अल्वसिय्यत के द्वारा 1905 ई. में रख दी गई है।

अत: सम्पूर्ण मित्रों को इसका महत्व समझना चाहिए और इन दलीलों को अच्छी तरह याद रख लेना चाहिए जो मैंने पेश की हैं । क्योंकि लगभग प्रत्येक स्थान पर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बालशोज़म के प्रशंसक होते हैं । मैंने इस आंदोलन की विशेषताएँ भी बता दी हैं और इसकी त्रूटियाँ भी बता दी हैं । इसी प्रकार दूसरे आंदोलनों की अच्छाईयाँ और त्रूटियाँ भी बता दी हैं। अत: इन पर ध्यान दो और शिक्षित वर्ग से इन को ध्यान में रखकर वार्तालाप करो । मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि यह दलीलें ऐसी हैं जिनका कोई उत्तर उन आंदोलनों के समर्थकों के पास नहीं ।

संसार में यदि शांति स्थापित हो सकती है तो इसी माध्यम से जिसको आज मैंने बयान किया है । इसी तरह आज से बीस वर्ष पहले 1924 ई. में सर्व शान्ति की स्थापना के संदर्भ में ख़ुदा तआला ने मेरे द्वारा किताब "अहमदिय्यत" में एक ऐसा महानतम प्रकटन किया कि मैं निश्चयरूप में कह सकता हूँ कि ऐसा महानतम प्रकटन गत तेरह शताब्दी में पहले व्याख्याकारों में से किसी ने नहीं किया और निश्चय ही वह ऐसी शिक्षा है कि यद्यपि इस प्रकार का दावा करना मेरी आदत के विपरीत है परन्तु मैं निश्चय रूप में कह सकता हूँ कि इस प्रकार का प्रकटन नबियों और उनके ख़लीफ़ों के अतिरिक्त आज तक कभी किसी ने नहीं किया । यदि किया हो तो लाओ मुझे उसका उदाहरण दिखाओ ।

अत: ऐ मित्रो! जिन्होंने वसिय्यत की हुई है समझ लो कि आप लोगों में से जिस जिसने अपनी अपनी जगह वसिय्यत की है उसने निज़ामे नौ

(नवीनतम व्यवस्था) की नींव रख दी है । उस निज़ामे नौ की जो उसकी और उसके परिवार की रक्षा का आधार है और जिस जिस ने तहरीके जदीद में भाग लिया है यदि वह अपनी निर्धनता के कारण भाग नहीं ले सका तो वो इस तहरीक की सफ़लता के लिए निरंतर दुआएँ करता है उसने वसिय्यत के निज़ाम को विस्तृत करने की नींव रख दी है ।

अतः ऐ मित्रो ! संसार की नयी व्यवस्था धर्म को मिटाकर बनाई जा रही है तुम तहरीके जदीद और वसिय्यत के द्वारा इस से श्रेष्ठ व्यवस्था धर्म को सुरक्षित रखते हुए स्थापित करो । परन्तु जल्दी करो कि दौड़ में जो आगे निकल जाए वही जीतता है । अतः तुम जल्द से जल्द वसिय्यतें करो ताकि जल्द से जल्द निज़ामे नौ का निर्माण हो । और वह मुबारक दिन आ जाए जबकि चारों ओर इस्लाम और अहमदिय्यत का झण्डा लहराने लगे । इसके साथ ही मैं उन सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें वसिय्यतें करने की तौफ़ीक़ हासिल हुई और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तआला उन लोगों को भी जो अभी तक निज़ाम में शामिल नहीं हुए तौफ़ीक़ दे कि वह भी इस में भाग ले कर आध्यात्मिक और भौतिक लाभ से मालामाल हो सकें और संसार इस व्यवस्था से ऐसे रंग में लाभ उठाए कि अन्ततः उसे यह स्वीकार करना पड़े कि क़ादियान की वह बस्ती जिसे अशिक्षित गांव कहा जाता था जिसे अज्ञानता की बस्ती कहा जाता था उस में से वह प्रकाश निकला जिस ने सारे संसार के अन्धेरों को दूर कर दिया । जिस ने सारी दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दिया । जिस ने सारी दुनिया के दुःखों और दरदों को दूर कर दिया और जिस ने प्रत्येक अमीर व ग़रीब को हर छोटे और बड़े को मुहब्बत और प्यार और पारस्परिक प्रेम से रहने की तौफ़ीक़ प्रदान की ।'' (निज़ामे नौ, पृ. 110 से 112, द्वित्तीय प्रकाशन)

3. इस समय मेरे निकट कम से कम तहरीक यह होनी चाहिए कि जमाअत का हर व्यक्ति वसिय्यत कर दे । दुनिया में हर कार्य के करने का एक समय होता है । हमारे हाथ से क़ादियान निकल जाने की वजह से शत्रु की दृश्टि इस समय विशेष रूप में इस बात पर लगी हुई हैं कि बहिश्ती मक़बरा उन के हाथों से निकल गया है जिस के लिए यह लोग वसिय्यत किया करते थे। अब हम देखेंगे कि यह लोग कैसे वसिय्यत करते हैं । इस आपत्ति

को दूर करने का हमारे पास एक ही साधन है कि प्रत्येक अहमदी वसिय्यत कर दे और दुनिया को बता दे कि हमें ख़ुदा तआला के वादों पर जो ईमान और विश्वास है वह क़ादियान के हमारे हाथ से निकलने या न निकलने से सम्बंधित नहीं बल्कि हम हर हालत में अपने ईमान(निष्ठा) पर स्थिर रहने वाले हैं । यह ईमान दिखाने की कम से कम इकाई है जिसकी इस समय तुमसे आशा की जाती है । अतः जो व्यक्ति साढ़े सौलह प्रतिशत भी नहीं दे सकता, मैं समझता हूँ उस के लिये ईमान को दर्शाने के लिये कम से कम इतना आवश्यक है कि वसिय्यत कर दे और कोशिश करे कि हमारी जमाअत में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा न रहे जिसने वसिय्यत न की हो ।''

(अल्-फ़ज़ल 5 जून, 1948 ई.)

वसिय्यत के हिस्से की अदायगी

4. ''एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि यदि एक व्यक्ति जिसने आय के सम्बंध में वसिय्यत की हुई हो, अपनी आय से प्रति मास वसिय्यत का भाग अदा करता है और शेष राशि में से कोई जायदाद बनावे तो क्या उस जायदाद में से भी हिस्सा वसिय्यत अदा करना चाहिए ?

फ़रमाया : ''हां, अदा करना चाहिए वसिय्यत असल में मृत्यु के बाद जो कुछ हो उस में से अदा होनी चाहिये ।''

प्रश्न कर्त्ता : इस प्रकार दो बार वसिय्यत का भाग अदा करना पड़ा । एक बार मासिक आय में से तथा दूसरी बार उसी आय से जिस में से वसिय्यत का भाग अदा हो चुका है, जो जायदाद बनाई गई है उस में से ।

फ़रमाया : ''व्यक्ति अपनी आय से रुपया बचाकर जो जायदाद बनाता है यदि जायदाद के अतिरिक्त किसी और काम पर लगाये तो इस प्रकार जो आय होगी, उससे हिस्सा वसिय्यत अदा करेगा । फिर जब वह जायदाद पर रुपया ख़र्च करता है तो उसमें से हिस्सा क्यों न दे, यह तो जायदाद है जो पैदा की गई । यदि किसी व्यक्ति के पास दस घुमाओ भूमि हो और वह एक घुमाओ वसिय्यत में देने के बाद बाक़ी भूमि की आय से कुछ रुपया जमा करता है जो उसकी मृत्यु के पश्चात् पता चले तो उससे भी हिस्सा वसिय्यत

अदा होना चाहिए।

5. "वसिय्यत की माफ़ी का हक़ मुझे भी प्राप्त नहीं। यह तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ क़ानून है और इलाही हुक्म से ही था। मैं उन चंदों को माफ़ कर सकता हूँ और कर देता हूँ जो मेरी ओर से लागू किये जायें या बढ़ाएँ जायें।" (15-3-38)

6. "वसिय्यत से सम्बंधित मेरे विचार बहुत दृढ़ हैं। उस से संबंधित पहले जो कुछ होता रहा है, उस पर अमल किया जाये, परन्तु मेरे निकट मरण समय में वसिय्यत करना उचित नहीं क्योंकि उस समय कोई व्यक्ति चाहे कैसे ईमान का हो मौत को निकट देख कर माल की क़ुर्बानी करने के लिये तैयार होता है।

द्वित्तीय : इस से यह हानि होती है कि एक व्यक्ति जो ढाई तीन सौ रुपया वेतन पाता रहता है और दीन की सेवा से बेख़बर और उस की जायदाद कोई नहीं होती वह ऐसे समय में वसिय्यत कर के वसिय्यत के वास्तविक उद्देश्य के विपरीत अमल (कार्य) करके वसिय्यत करने वालों में प्रवेश कर जाता है। मेरे निकट यह भी देखना आवश्यक है कि एक व्यक्ति का गुज़ारा उसकी जायदाद पर है या उसके वेतन पर। यदि असल चीज़ उसका वेतन है तो उस पर वसिय्यत होनी चाहिये अपितु एक हँसी बन जायेगी। इसी प्रकार मेरे निकट यह देखना ज़रूरी है कि वह व्यक्ति देखने में शरीअत् के किसी आदेश को तोड़ता तो नहीं। देखने की शर्त इस लिये है कि दिल का हाल ख़ुदा जानता है। अत: मेरे निकट जो दाढ़ी भी मुँडवाता है उस की भी वसिय्यत जायज़ नहीं क्योंकि शिआरे इस्लाम की निंदा करने वाला है।"

(मनक़ूल "अखबार अल् फ़ज़ल" न. 45, भाग 7, दिनांक 8 दिसम्बर, 1919 ई.)

रैज़ोलियूशन नं. 280, फ़ैसला मज्लिस मुशावरत 1935 ई. आय के भाग की अदायगी के सम्बन्ध में

रैज़ोलियूशन नं. 280/3-7-35 रिपोर्ट नाज़िर साहिब बैतुल माल कि रैज़ोलियूशन नं. 142, तिथि 12-6-1935 का प्रतिपालन करते हुए

निम्नलिखित फ़ैसले जो पिछली मुशावरत में हुए हैं प्रस्तुत करता हूँ :

आमद की परिभाषा

हर प्रकार का धन चाहे वह ज़मीन, मकान, मशीनरी, रुपया या निजी कला के रूप में हो, उससे जो आय प्राप्त की जा सकेगी, उस पर चन्दा अनिवार्य होगा। इसी प्रकार इन्आम (पुरस्कार) अथवा वज़ीफ़ा या गुज़ारा जो नक़दी के रूप में प्राप्त हो उस पर चन्दा अनिवार्य होगा, परन्तु जो रुपया विरसा (दाय) में मूलधन के रूप में मिले वह धन समझा जायेगा न आय। उस आय से निम्नलिखित खर्च निकाल दिये जायेंगे।

सरकारी टैक्स उदाहरणतया रिवन्यु, लोकल रेट, कैम्प अलाउंस, अलग होने का अलाउंस, अलाउंस लकड़ी, कोयला इत्यादि एवं सफ़र खर्च तथा वह ख़र्च जो आय प्राप्त करने के लिये किये जाएँ उदाहरण के रूप में ज़मींदारा (खेतीबाड़ी) की आय से गर्वमेंट का मामला निकालने के अतिरिक्त खेती में सहायकों (मज़दूर इत्यादि) को जो राशि दी जाती है, वह भी निकाल दी जायेगी। ज़मींदारा ख़र्च से बीज का ख़र्च आय में से नहीं घटाया जायेगा। इन अतिरिक्त ख़र्चों को छोड़ कर हर प्रकार की आय लिखती बजट निदान फार्म (जांच-पड़ताल फ़ार्म) के स्थान पर उदाहरणतय खाना नं.6, सर्विस के नीचे मेहनताना, पर्सनल अलाउंस, एकटिंग अलाउंस, अलाउंस तथा पुरस्कार और वज़ीफ़ा तथा नक़द गुज़ारा, सब लिखे जाने चाहियें। इसी प्रकार प्रावीडंट फ़ण्ड का रुपया वेतन से न निकाला जाये बल्कि पूरा वेतन प्रावीडेंट फण्ड निकाले बिना ही आय में दिखाया जाये।

वसिय्यत लिखने के सम्बन्ध में एक आवश्यक निर्देश

वसिय्यत करने वालों को अधिकार है कि वे अपनी वसिय्यत के सम्बन्ध में यह लिख दे कि वह स्वीकृति की तिथि से लागू होगी या लिखित तिथि से।

प्रथम वर्णित अवस्था में आय के भाग की अदायगी स्वीकृत होने की तिथि के बाद ही लागू होगी परन्तु यदि वसिय्यत कर्ता वसिय्यत की मनज़ूरी से पहले ही मृत्यु पाले तो वसिय्यत स्वयं ही दाख़िल दफ़तर हो जायेगी,

क्योंकि वसिय्यत कर्ता ने वसिय्यत की मनज़ूरी से पहले वसिय्यत के जारी करने का निश्चय ही नहीं किया था।

दूसरी अवस्था में आय के भाग की अदायगी (वसिय्यत) लिखने की तिथि से ही लागू हो जायगी और वसिय्यत करने वाले के लिये अनिवार्य होगा कि वह वसिय्यत लिखने के तुरंत पश्चात् आय के भाग की अदायगी आरम्भ कर दे, यदि किसी कारण बाद में वसिय्यत मनज़ूर न हो तो वह राशि जो आय के भाग और चन्दा आम में फ़र्क होगा वह वसिय्यत करने वाले को या उसके उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जायेगी।

वसिय्यत करने हेतु लेख नं. 1

(उन लोगों के लिये जिनका गुज़ारा केवल आय पर है)

मेरी जायदाद इस समय कोई नहीं। मेरा गुज़ारा मासिक आय पर है जो इस समय मुबलग़ (कुल) .... रुपया है विद्यार्थी/अविवाहिता इसके अतिरिक्त यह वाक्य लिखें। मुझे इस समय मुबलग़ (कुल) .... रुपया पिता/संरक्षक की ओर से जेब खर्च के रूप में मिलते हैं) मैं जीवन भर अपनी मासिक आय का (जो भी होगी) 1/ भाग सदर अंजुमन के ख़ज़ाना (कोष) क़ादियान, भारत दाख़िल करता रहूँगा/करती रहूँगी। यदि कोई जायदाद उस के पश्चात पैदा करूँ तो उसकी सूचना मज्लिस कार परदाज़ को देता रहूँगा/ देती रहूँगी। इसी प्रकार मेरी मृत्यु पर मेरा जितना भी तरका (दाय) साबित हो, उसके 1/ की मालिक सदर अंजुमन अहमदिय्या क़ादियान, भारत होगी। मेरी यह वसिय्यत तिथि लिखती/मन्ज़ूरी वसिय्यत से जारी की जाए।

साक्षी	वसिय्यत कर्ता	साक्षी
हस्ताक्षर एवं	हस्ताक्षर एवं	हस्ताक्षर एवं
अंगूठे का निशान	अंगूठे का निशान	अंगूठे का निशान
पुत्र............	पुत्र............	पुत्र............
पूर्ण पता........	पूर्ण पता.......	पूर्ण पता........
तिथि.........	तिथि.........	तिथि........

वसिय्यत करने हेतु लेख नं. 2
(उन लोगों के लिये जिनका गुज़ारा केवल जायदाद की आय पर है)

मैं वसिय्यत करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु के समय मेरी छोड़ी गई जायदाद चल अथवा अचल के 1/ भाग की मालिक सदर अंजुमन अहमदिय्या क़ादियान भारत होगी । इस समय मेरी कुल सम्पत्ति चल-अचल का विवरण निम्नानुसार है । जिसकी मौजूदा कीमत लिख दी गई है ।

....

....

....

इसके अतिरिक्त मेरी मासिक/वार्षिक आय जायदाद द्वारा कुल........... रुपये हैं । मैं वचन करता/करती हूँ कि जायदाद (सम्पत्ति) की आय पर आमद का भाग चन्दा आम की दर से जीवन भर नियमानुसार सदर अंजुमन अहमदिय्या कादियान भारत को अदा करता रहुँगा/करती रहुँगी। इसी प्रकार जायदाद की आय के अतिरिक्त यदि मैंने कोई और आय पैदा की तो उसकी सूचना मज्लिस कारपरदाज़ को देता रहुँगा/देती रहुँगी और उसका 1/... भाग सदर अंजुमन अहमदिय्या क़ादियान, भारत को अदा करता रहूँगा/रहूँगी । मेरी यह वसिय्यत तिथि लेखन/मन्ज़ूरी वसिय्यत से जारी की जाए ।

साक्षी	वसिय्यत कर्ता	साक्षी
हस्ताक्षर एवं	हस्ताक्षर एवं	हस्ताक्षर एवं
अंगूठे का निशान	अंगूठे का निशान	अंगूठे का निशान
पुत्र.............	पुत्र.............	पुत्र..............
पूर्ण पता........	पूर्ण पता.......	पूर्ण पता........
तिथि.........	तिथि.........	तिथि........

नोट :- 1. ज़मीन/मकान के रूप में उस के होने का स्थान, क्षेत्रफल तथा अनुमानित मुल्य लिखा जाए और यदि जायदाद से आय हो तो वह निर्धारित की जाये ।

2. स्त्रियों का महर उन की जायदाद में शामिल है और वसिय्यत में उसका वर्णन आवश्यक है कि कितना है और क्या वसूल हो चुका है या अभी उसके पति के ज़िम्मे अदा करना बाकी है । यदि देना शेष है तो पति को लिखित रूप में अपनी ओर से यह लिख कर वसिय्यत में शामिल करना चाहिये कि मेहर का इतना रुपया मुझपर अदा करना अनिवार्य है । मैं उसकी वसिय्यत का हिस्सा सदर अंजुमन अहमदिय्या क़ादियान, भारत के कोष को अदा करने का ज़िम्मेदार हूँ ।

3. आभूषण जो वसिय्यत में प्रस्तुत किये जायें, उनका विवरण और वज़न तथा मुल्य मौजूदा लिखा जाये ।

4. पति की मासिक आय का वर्णन किया जाये । अत: यह कि वह मूसी है या कि नहीं । मूसी हो तो उनका वसिय्यत नम्बर ....।

वसिय्यत हेतु लेख नं. 3

(उन लोगों के लिये जिनका गुज़ारा जायदाद की आय और मासिक आय पर है)

मैं वसिय्यत करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु पर मेरी छोड़ी गई कुल जायदाद चल-अचल के 1/ भाग की मालिक सदर अन्जुमन अहमदिय्या क़ादियान, भारत होगी । इस समय मेरी कुल सम्पत्ति चल-अचल का विवरण निम्नानुसार है । जिसकी मौजूदा कीमत लिख दी गई है ।

....

....

....

मेरा गुज़ारा सम्पत्ति की आय पर तथा मासिक आय पर है ।

1. सम्पत्ति की वार्षिक आय मात्र............ रुपये है ।

2. मासिक आय/ वार्षिक मात्र.......... रुपये है जो सर्विस/व्यापार आदि के रूप में है ।

मैं वचन करता/करती हूँ कि सम्पत्ति की आय पर आय का भाग चन्दा आम (साधारण) (1/16) और मासिक आय पर 1/ भाग जीवन भर नियमानुसार सदर अंजुमन अहमदिय्या क़ादियान, भारत को अदा करता

रहूँगा/करती रहूँगी । मेरी यह वसिय्यत लिखने/स्वीकृति वसिय्यत की तिथि से लागु होगी ।

साक्षी	वसिय्यत कर्ता	साक्षी
हस्ताक्षर एवं	हस्ताक्षर एवं	हस्ताक्षर एवं
अंगूठे का निशान	अंगूठे का निशान	अंगूठे का निशान
क पुत्र क............	क पुत्र क............	क पुत्र क............
पूर्ण पता........	पूर्ण पता.......	पूर्ण पता........
तिथि.........	तिथि.........	तिथि........

नोट : इस वसिय्यत में भी वह चारों नोट सम्मुख रखे जायें जो वसिय्यत हेतु लेख नं. 2 में लिखे गए हैं ।

चन्दा शर्ते अव्वल व एलाने वसिय्यत

चन्दा शर्ते अव्वल और चन्दा एलाने वसिय्यत जो हर नई वसिय्यत के साथ वसिय्यत करने वाले से लिया जाता है, उस की वसूली सदर अन्जुमन अहमदिय्या के ख़ज़ाना (कोष) में वसिय्यत दाखिल् करने के साथ ही तत्काल हो जाना अनिवार्य है । प्रत्येक वसिय्यत की पूर्ति के लिये इन चन्दों की वसूली भी एक आवश्यक कार्य है । इन चन्दों की वसूली के बिना न कोई वसिय्यत पूर्ण है और न ही उस की मन्ज़ूरी के लिये कोई कार्यवाही की जा सकती है । इस लिये सैक्रेट्री साहिबान वसाया से निवेदन है कि प्रत्येक वसिय्यत के साथ यह दोनों चन्दे उसी समय वसूल करके सैक्रेट्ररी साहिबान माल के हवाले कर दें और सैक्रेट्ररी माल साहिबान से निवेदन है कि वे इन चन्दों को जहाँ तक हो सके बिना देरी सदर अन्जुमन अहमदिय्या के कोश में दाख़िल कर दें यह नहीं होना चाहिये कि वसिय्यत तो दफ़तर में पहुँच जाये और यह चन्दे वसिय्यत कर्ता से वसूल न हों या उनसे वसूल तो हो जायें परन्तु सैक्रेट्ररी साहिबान दाख़िल ख़ज़ाना करने में अनावश्यक देरी करें । यदि कोई वसिय्यत कर्ता यह दोनों चन्दे अपनी वसिय्यत के साथ ही अदा नहीं करता तो ऐसी वसिय्यत दफ़तर भेजने का कोई लाभ नहीं । क्योंकि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

यह निवेदन कर देना भी अवश्यक है कि चन्दा ऐलाने वसिय्यत

अवस्थानुसार बदलता रहता है । चन्दा शर्ते अव्वल के सम्बन्ध में सैक्रेट्री साहिबान वसाया व माल इस बात को सदैव अच्छी तरह याद रखें कि पुस्तिका अल्-वसिय्यत में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस की कोई दर नियुक्त नहीं की है । अपितु वसिय्यत कर्ता पर इस चन्दा की अदायगी ''हैसियत (क्षमता) के अनुसार'' ठहराई है । ताकि ऐसे रुपये से हिफ़ाज़त और सुन्दरता की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें परन्तु इस का कदापि यह मतलब नहीं है कि उदाहरणतया एक वसिय्यत में पाँच सौ या हज़ार रुपया मासिक आय लिखी हो या चालीस पचास हज़ार रुपया की सम्पत्ति लिखी हो । और वसिय्यत कर्ता केवल दो तीन रुपया चन्दा शर्ते अव्वल अदा करने को ही पर्याप्त समझे क्योंकि न तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के शब्द ''हैसियत के अनुसार'' का यह मतलब व अर्थ है और न ही बहिश्ती मक़बरा के उद्देश्य ऐसे थोड़े-थोड़े रुपयों से पूर्ण हो सकते हैं । अपितु वसिय्यत कर्ता को अपनी मासिक आय और अपनी जायदाद व सम्पत्ति की हैसियत तथा धन क्षमता और बहिश्ती मक़बरा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए चन्दा शर्ते अव्वल अदा करना चाहिये ।

सैक्रेट्री साहिबान माल व वसाया को भी इस चन्दा की वसूली इन बातों को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिये । यह कोई स्थायी चन्दा तो नहीं है जो हर महीने या हर साल अदा करना होता है बल्कि वसिय्यत के साथ केवल एक बार ही अदा करना है । इस लिये प्रत्येक वसिय्यत कर्ता को शर्ते अव्वल का चन्दा अदा करते समय यह देख लेना चाहिये कि उस के द्वारा अदा की गई राशि अपनी ''हैसियत के लिहाज़ से'' अदा की है ? और क्या उसकी अंतरात्मा इस बात पर संतुष्ट है कि उस ने अपनी ''हैसियत के लिहाज़ से'' इसचन्दा की अदायगी में कमी नहीं की । (सैक्रेटरी मज्लिस कारपरदाज़)

❖